बी.सी.ओ.सी-136
आयकर विधान एवं व्यवहार

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ

यह सी.बी.सी.एस. योजना के तहत बी.कॉम कार्यक्रम में मुख्य पाठ्यक्रमों में से एक है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को आयकर कानून और अभ्यास से परिचित कराना है। छात्र को इन कानून के नियमों और विनियमन को जानना चाहिए। इस पाठ्यक्रम में 20 इकाइयों को दो भागों में विभाजित किया गया है, भाग-अ और भाग-ब। यह भाग-अ तीन खण्डों 1, 2 और 3 से मिलकर बनता है और कुल 11 इकाइयाँ हैं। भाग-ब में दो खण्ड 4 और 5 हैं और कुल 9 इकाइयाँ हैं। भाग-अ का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :

भाग-अ

खंड 1	**आधारभूत सिद्धान्त**	
इकाई 1	आधारभूत संकल्पनाएँ-I	5
इकाई 2	आधारभूत संकल्पनाएँ-II	20
इकाई 3	निवास स्थिति तथा कर दायित्व	36
इकाई 4	करमुक्त आय (धारा 10)	56
खंड 2	**वेतन**	**71**
इकाई 5	वेतन-I	73
इकाई 6	वेतन-II	107
इकाई 7	वेतन-III	149
खंड 3	**व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियों से आय**	**169**
इकाई 8	मकान सम्पत्ति से आय	171
इकाई 9	व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियों से आय-I	201
इकाई 10	व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियों से आय-II	227
इकाई 11	व्यापार अथवा पेशे के लाभ एवं प्राप्तियों से आय-III	251

कार्यक्रम डिजाइन समिति – बी.कॉम (सी.बी.सी.एस.)

प्रो. मधु त्यागी
निर्देशक, एस.ओ.एम.एस. इग्नू

प्रो. आर.पी. हुडा
पूर्व कुलपति, एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक

प्रो. बी.आर. अनंथन
रानी चेन्नम्मां विश्वविद्यालय, बेलगाँव, कर्नाटक

प्रो. आई.वी. त्रिवेदी
पूर्व कुलपति, एम.एल, सुखादिया विश्वविद्यालय, उदयपुर

प्रो. पुरुषोत्तम राव (सेवानिवृत)
वाणिज्य संकाय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

प्रो. डी. पी. एस. वर्मा (सेवानिवृत्त)
वाणिज्य संकाय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. के. वी. भानुमूर्ति (सेवानिवृत्त)
डिपार्टमेंट ऑफ कामर्स
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. कविता शर्मा
डिपार्टमेंट ऑफ कामर्स
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. खुर्शीद अहमद बट
डीन, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय,
कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर

प्रो. डेबब्रत्ता मित्रा
वाणिज्य संकाय,
उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग

प्रो. आर. के. ग्रोवर (सेवानिवृत्त)
प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ, इग्नू

संकाय सदस्य एस.ओ.एम.एस. इग्नू

प्रो. एन.वी. नरसिम्हम
प्रो. नवल किशोर
प्रो. एम.एस.एस. राजू
प्रो. सुनील कुमार
डॉ. सुबोध केसरवानी
डॉ. रशमी बंसल
डॉ. मधुलिका पी. सरकार
डॉ. अनुप्रिया पाण्डेय

पाठ्यक्रम डिजाइन समिति

प्रो. मधु त्यागी
निदेशक, एस.ओ.एम.एस, इग्नू

प्रो. आर.के. ग्रोवर
पूर्व निदेशक, एस.ओ.एम.एस, इग्नू

डॉ. ए.एल. दुबे (सेवानिवृत)
देशबंधु कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय

डॉ. मीरा नंगिया
कॉलेज ऑफ वकेशनल इस्टडीज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संकाय सदस्य एस.ओ.एम.एस. इग्नू
प्रो. एन.वी. नरसिम्हम
प्रो. नवल किशोर
प्रो. मधु त्यागी
प्रो. एम.एस.एस. राजू
प्रो. सुनील कुमार
डॉ. सुबोध केसरवानी
डॉ. रशमी बंसल
डॉ. अनुप्रिया पाण्डेय
डॉ. मधुलिका पी. सरकार

संपादक एवं पाठ्यक्रम समन्वयक
डॉ. मधुलिका पी. सरकार

पाठ्यक्रम निर्माण दल

डॉ. शिरीन राथोर
साउथ कैम्पस, दिल्ली
विश्वविद्यालय, दिल्ली

श्री आर. देवराजन
इंस्टिट्यूट ऑफ चारटेड एकाउन्टेंट
ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

प्रो. आर.के. ग्रोवर
पूर्व निदेशक, एसओएमएस
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. मधु त्यागी
एसओएमएस
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. ए.एल. दुबे (सेवानिवृत)
देशबंधु कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय
(इकाई 1,2,3,4 और 8)

प्रो. सुनील कुमार
एस.ओ.एम.एस, इग्नू
(इकाई 9,10,11)

डॉ. शिखा बाला श्रीवास्तव
एल.पी.डी.जे डिग्री कॉलेज, कानपुर
(इकाई 5,6 और 7)

डॉ. मधुलिका पी. सरकार
एस.ओ.एम.एस, इग्नू, नई दिल्ली
(इकाई 3,4 और 8)

अनुवादक

डॉ. ए.एल. दुबे (सेवानिवृत)
देशबन्धु कॉलेज
(इकाई 1,2,3,4 और 8)

डॉ. शिखा बाला श्रीवास्तव
एल.पी.डी.जे डिग्री कॉलेज, कानपुर
(इकाई 5,6,7,9,10)

डॉ. अरुण उपाध्याय
वी.एस.एस.डी. कालेज, कानपुर
इकाई (11)

संपादक एवं पाठ्यक्रम समन्वयक
डॉ. मधुलिका पी. सरकार

सामग्री निर्माण

श्री वाई. एन. शर्मा
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
एम.पी.डी.डी., इग्नू, नई दिल्ली

श्री सुधीर कुमार
अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन)
एम.पी.डी.डी., इग्नू, नई दिल्ली

अक्टूबर, 2020
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2020
ISBN :

सर्वाधिकार सुरक्षित, इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के बारे में विश्वविद्यालय कार्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव, सामग्री निर्माण एवं वितरण विभाग द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर टाइप सेटिंग : टेसा मीडिया एण्ड कंप्यूटर्स, सी 206, शाहीन बाग, जामिया नगर, नई दिल्ली

मुद्रक :

पाठ्यक्रम परिचय

खंड 1 आधारभूत सिद्धांत भारत में आयकर अधिनियम 1961 द्वारा शासित है यह अधिनियम संसद द्वारा पारित वित्त के माध्यम से हर साल संशोधन किया जाता है। व्यक्ति द्वारा विभिन्न स्रोतों से अर्जित आयकर देय होता है जो वित्त वर्ष में उनकी आवासीय स्थिति के आधार पर कर लगाया जाता है। इस खंड में 4 इकाइयाँ हैं जो आयकर के पराधान के लिए बुनियादी ढ़ांचे पर चर्चा करता है। इसमें परिभाषाएं शामिल हैं। अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न शर्तें, आवासीय स्थिती और करदेयता का दायरा तथा जिन आयों को कर से छूट प्राप्त है उन सभी नियमों की चर्चा इस खंड में किया गया है।

इकाई 1 आधारभूत संकल्पनाएँ-I

यह इकाई आयकर अधिनियम में लागू की जाने वाली विभिन्न शर्तों का अवलोकन करती है और साथ ही गत वर्ष और करनिर्धारण वर्ष की अवधारणा के बारे में भी बताया गया है। इस इकाई में कराधान से सम्बन्धित प्रावधान की चर्चा की गई है।

इकाई 2 आधारभूत संकल्पनाएँ-II

इस इकाई में विस्तार से कृषि आय एवं उसके प्रकार और गैर कृषि आय के साथ–साथ एकीकरण आय, आकस्मिक आय और पूंजी तथा राजस्व प्राप्तियों के बीच अन्तर की चर्चा की गई है।

इकाई 3 निवास स्थिति तथा कर दायित्व

यह इकाई किसी व्यक्ति की आवासीय स्थिति निर्धारित करने के नियमों को बताती है तथा निवासी स्थिति के आधार पर कर दायित्व पर प्रकाश डालती है।

इकाई 4 करमुक्त आय

इस इकाई में आपको कर से मुक्त आय की सूचियाँ के बारे में बताया गया है। किसी व्यक्ति की आय और कुछ संस्थानों और निधियों की आय जिनमें ट्रस्ट और राजनीतिक दल शामिल हैं जो कि कर से मुक्त है की चर्चा की गई है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 1 आधारभूत संकल्पनाएँ-I

इकाई की रूपरेखा

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 भारत में आयकर का व्यापक तंत्र

1.3 आय की अवधारणा

1.3.1 आय की परिभाषा

1.3.2 मूल सिद्धान्त

1.4 व्यक्ति की परिभाषा

1.5 निर्धारिती (करदाता) की परिभाषा

1.6 स्थायी करदाता संख्या

1.7 कर–निर्धारण वर्ष

1.8 गत वर्ष

1.9 गत वर्ष की आय का करारोपण उसी वर्ष में होना

1.10 कुल आय की अवधारणा

1.11 लेखा विधि

1.12 सारांश

1.13 शब्दावली

1.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.15 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

1.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- भारत में आयकर प्रशासन का वर्णन कर सकेंगे; और
- विषय के अध्ययन के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दे सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना

आयकर केन्द्र सरकार द्वारा लगाए जा सकने वाले प्रत्यक्ष करों में से एक कर है। इसे प्रत्यक्ष कर इसलिए माना जाता है क्योंकि यह एक व्यष्टि, हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्मों तथा निगमित निकायों द्वारा कर–निर्धारण वर्ष में गत वर्ष (लेखा/वित्तीय वर्ष) के दौरान अर्जित की गई आय पर करदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में सरकार को देय होता है। अतः आयकर का अध्ययन करने वाले किसी भी छात्र को आय, गत वर्ष, कर–निर्धारण वर्ष, कुल आय तथा भारत के उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानना आवश्यक है, जिन पर आयकर का दायित्व होता है। इस इकाई में हमने भारत में आयकर के इतिहास का पता लगाया है तथा अद्यतन संशोधित किए गए आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन सभी शब्दों को भी हमने परिभाषित किया है।

1.2 भारत में आयकर का व्यापक तंत्र

भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में प्रारंभ हुआ, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत में आयकर की शुरुआत सर्वप्रथम सन् 1860 से हुई। उस समय आयकर अंग्रेजी शासनकाल में सर जैम्स विल्सन (Sir James Wilson) द्वारा लगाया गया था। अतः आयकर को ब्रिटिश सरकार का स्थाई और मुख्य स्रोत बनाया गया और ब्रिटिश सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1886 लागू किया गया। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस अधिनियम में कमियाँ महसूस की गई और गहन जांच–पड़ताल के उपरांत आयकर अधिनियम, 1922 लागू किया गया, जो करीब 40 वर्षों तक चलता रहा। इसी बीच, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तथा भारत सरकार को आयकर अधिनियम, 1922 में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। विधि आयोग ने 1958 में विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस आशय से सरकार ने सन् 1958 में श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में एक प्रत्यक्ष कर प्रशासन समिति नियुक्त की, जिसे प्रत्यक्ष करों के ढाँचे की जाँच करना और प्रारूप प्रस्तुत करना था। इस समिति के सुझावों के आधार पर अंततः पुराने आयकर अधिनियम, 1922 को पूर्णतया बदलकर आयकर अधिनियम, 1961 बना दिया गया तथा यह नया अधिनियम 1.4.1962 से लागू किया गया।

आयकर अधिनियम, 1961, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) द्वारा लागू किया जाता है तथा यह बोर्ड वित्त मंत्रालय की निगरानी में कार्य करता है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम प्रशासन के लिए नियम बनाता है। इन नियमों को आयकर नियम, 1962 (Income Tax Rules, 1962) भी कहा जाता है, जिनमें विविध फार्म और विवरण होता है। सरकार ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग से आयकर विभाग का गठन किया। केन्द्रीय सरकार के लिए आयकर बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। आयकर नियम बनाने की विधि बहुत विस्तृत है। पहले इस नियम को जनता के विचार जानने के लिए सूचित किया जाता है और इसके पश्चात् इन नियमों को अपनाने की प्रक्रिया की जाती है। इसके पश्चात् इन नियमों को संसद के समक्ष सूचनार्थ पेश किया जाता है। इन नियमों में समय–समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भी समय–समय पर आयकर अधिकारियों के निर्देश के लिए करदाताओं की सूचना के लिए विभिन्न परिपत्र निकालता रहा है। अतः आयकर केन्द्रीय सरकार के द्वारा लागू तथा एकत्रित किया जाता है, इसका कुछ भाग राज्य सरकारों को उनके निर्धारित कार्यों के लिए वितरित किए जाते हैं। इसलिए आयकर का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के लिए अधिनियम की ताजा जानकारी रखना आवश्यक है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक छात्र नियमित रूप से कर सम्बन्धी पत्र–पत्रिकाओं का अध्ययन करता रहे।

वित्त अधिनियम (The Finance Act)

आप यह अवश्य जानते होंगे कि हमारे वित्त मंत्री प्रति वर्ष संभवतः फरवरी महीने में संसद में आगामी वर्ष के लिए आय एवं व्यय का अनुमान प्रस्तुत करते हैं। इस अनुमान के ब्यौरे (दस्तावेज) को बजट कहा जाता है। बजट प्रस्तुत करने की तारीख देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह आगामी वर्ष के सम्बन्ध में वित्तीय नीति निर्धारित करती है। कर सम्बन्धी प्रस्तावों को वैधानिक बनाने के लिए वित्त बिल को भी संसद में पेश किया जाता है। वित्त बिल में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित विभिन्न प्रावधान बनाए जाते हैं। संसद द्वारा पास होने के उपरांत वित्त अधिनियम लागू कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आयकर की दरों का भी विवरण दिया जाता है जो उसपर निर्धारण वर्ष की आय पर लागू होता है।

अतः आयकर का अध्ययन करने वाले छात्र के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों को जानना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे आयकर नियमों तथा वर्तमान वित्त अधिनियम का भी ज्ञान होना चाहिए। इन सभी अधिनियमों को साथ–साथ पढ़ना चाहिए।

आयकर की योजना एवं संक्षिप्त विवरण

आयकर लगाने की विधि आयकर वह कर है जो आय पर लगाया जाता है, जो करदाता (व्यक्ति) के गत वर्ष की कुल आय पर लगाया जाता है जोकि कर निर्धारित वर्ष में लागू दरों के अनुसार निर्धारित होती है। यह दरें आय की विभिन्न खडों में विभाजित होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी आय (जिसे आयकर अधिनियम तथा आयकर नियम के आधार पर निर्धारित किया गया हो) सम्बन्धित वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है, आयकर देने का उत्तरदायी है। वित्त अधिनियम 2019 से करमुक्त आय सीमा को 2,25,000 रुपए कर दी गई है। आयकर अधिनियम में एक व्यक्ति की आय की गणना करने के लिए पाँच शीर्षों के अंतर्गत विभाजित किया गया है जिसमें वेतन, मकान सम्पत्ति से आय, व्यापार और पेशे से लाभ, पूँजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से आय शामिल है।

अतः वित्त अधिनियम के अध्ययन से उन सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है जो आयकर निर्धारण में सामने आती हैं। इस पाठ्यक्रम में हम यहाँ आय के पाँचों स्रोतों का वर्णन कर रहे हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इस अधिनियम में 400 से अधिक धाराएँ (धारा 1 से लेकर 298 तक) तथा चौदह अनुसूचियाँ हैं।

1.3 आय की अवधारणा

आयकर एक व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। अतः आय के बारे में यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण है कि आय का क्या तात्पर्य है तथा आय की गणना कैसे की जाती है। इस अध्ययन में हम आय को परिभाषित करेंगे तथा आय से सम्बन्धित कुछ आधारभूत सिद्धान्तों की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। कुल आय की गणना सम्बन्धी विधि की चर्चा अगले अध्यायों में की जाएगी।

1.3.1 आय की परिभाषा

आयकर के अध्ययन में 'आय' शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आयकर किसी व्यक्ति की आय पर ही लगाया जाता है। वास्तव में आयकर अधिनियम की विषय–सामग्री ही आय है, किन्तु आयकर अधिनियम में "आय" शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अधिनियम की धारा 2(24) केवल इस बात की तरफ संकेत करती है कि "आय" शब्द में क्या–क्या शामिल है। इस धारा के अनुसार "आय" में निम्नलिखित मदें शामिल हैं

i) कोई लाभ की रकम,

ii) लाभांश

iii) निम्नलिखित के द्वारा स्वेच्छापूर्वक प्राप्त चंदों से आयः

   a) ऐसे ट्रस्ट अथवा संस्था जिनकी स्थापना धार्मिक अथवा पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए हुई हो,

   b) वैज्ञानिक शोध संघ (Scientific Research Association)

   c) खेलकूद संघ (Games or Sports Association)

d) पुण्यार्थ कोष अथवा पूर्णतया सार्वजनिक, धार्मिक तथा पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट अथवा संस्था,

e) कोई विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्था,

f) कोई अस्पताल अथवा अन्य संस्था ।

iv) कर्मचारी को प्राप्त ऐसे अनुलाभ या वेतन के स्थान पर लाभ जो "वेतन" शीर्षक में कर–योग्य हैं,

v) कर्मचारी को अनुलाभों के अलावा प्राप्त होने वाला कोई ऐसा विशेष भत्ता या लाभ जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया हो,

vi) भारतीय इकाई प्रन्यास के यूनिटों से आय (कर–निर्धारण वर्ष 2004–05 से यह आय कर–मुक्त है),

vii) किसी सहयोगी फण्ड के यूनिटों से आय (कर–निर्धारण वर्ष 2004–05 से यह आय कर–मुक्त है),

viii) विपणन संघ या सत्ता की आय (कर–निर्धारण वर्ष 2003–04 से),

ix) करदाता द्वारा अपने सेवा के स्थान या निवास स्थान पर कर्तव्य पालन हेतु किए व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया कोई भत्ता अथवा जीवन–निर्वाह की बढ़ी हुई लागत (increased cost of living) की पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता।

x) कम्पनी के संचालक या कम्पनी में सारवान हित (Substantial interest) रखने वाले व्यक्ति को या उसके किसी रिश्तेदार को कम्पनी से प्राप्त लाभ या अनुलाभ का मूल्य,

xi) प्रतिनिधि करदाता द्वारा प्राप्त लाभ या अनुलाभ का मूल्य,

xii) किसी व्यवसाय अथवा पेशे को संचालित करने से उत्पन्न हुए लाभ,

xiii) पूँजी लाभ,

xv) पूर्व वर्षों में स्वीकृत डूबते ऋणों की वापसी,

xvi) सीमा शुल्क की वापसी,

xvii) कर–योग्य संतुलित चार्ज (Taxable Balancing Charge)

xix) फर्म से साझेदार को प्राप्त ब्याज वेतन बोनस कमीशन एवं अन्य कोई पारिश्रमिक,

xx) लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़–दौड़, ताश के पत्तों का खेल तथा अन्य किसी प्रकार के खेलों की जीत से प्राप्त रकम। कर–निर्धारण वर्ष 2002–03 से लॉटरी के अन्तर्गत ऐसे इनामों से जीत भी शामिल होगी जिसे लॉटरी या अन्य किसी रीति से निकाला गया है। ताश तथा अन्य खेलों में टेलीविजन पर कोई खेल प्रदर्शन, इनाम जीतने हेतु कोई मनोरंजन कार्यक्रम भी शामिल होंगे।

xxi) निम्नलिखित कोषों में अंशदान के लिए कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशिः

a) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित कोष,

b) श्रम कल्याण के लिए स्थापित कोई कोष,

c) कर्मचारियों के प्रॉवीडेण्ट फण्ड अथवा सुपरऐनुएशन फण्ड,

xxiii) आयात नियंत्रण आदेश, 1995 के अंतर्गत मिले हुए लाइसेंस को बेचने से लाभ,

xxiv) भारत सरकार की निर्यात के सम्बन्ध में किसी योजना के अंतर्गत प्राप्त या प्राप्य नकद सहायता,

xxv) गैर–रिश्तेदारों से बिना प्रतिफल के प्राप्त, 50,000 रुपये से अधिक रकम,

xxvi) Keyman बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त धन। इसमें बोनस की राशि भी सम्मिलित है। Keyman बीमा पॉलिसी उस पॉलिसी को कहते हैं जो किसी करदाता द्वारा अपने व्यवसाय में कार्यरत किसी कर्मचारी अथवा करदाता के व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति के जीवन पर ली गई हो,

xxvii) आय के अन्तर्गत एक सहकारी समिति द्वारा अपने सदस्यों के साथ किसी बैंकिंग व्यवसाय (साख सुविधाएँ प्रदान किए जाने सहित) को संचालित करने पर उत्पन्न हुए लाभ शामिल होंगे (कर–निर्धारण वर्ष 2007–08 से प्रभावी)।

xxviii) आकस्मिक आय की अधिकतम राशि 10,000 आयकर से मुक्त है। कोई भी आकस्मिक आय रु10,000 या 10,000 से अधिक है तो यह ''अन्य स्त्रोत से आय'' के अन्तर्गत कर योग्य होगी।

आय की उपरोक्त परिभाषा पूरी नहीं है। उपरोक्त मदों के अलावा, आय प्राप्तियाँ और लाभ भी आय के भाग हैं; जो आयकर अधिनियम में शामिल है।

1.3.2 मूल सिद्धान्त

जैसा कि प्रारंभ में ही बताया जा चुका है कि धारा 2(24) में दी गई आय की परिभाषा स्पष्ट तथा पूर्ण नहीं है, बल्कि वह केवल उन राशियों की सूची है जिसे "आय" की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। आय का अर्थ बहुत व्यापक है, अतः उपयुक्त परिभाषा तथा निर्देश के अभाव में करदाताओं तथा आयकर विभाग उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित मुकदमों को आधार मानते हैं तथा वे न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर करते हैं।

सभी प्राप्तियाँ आय की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आतीं। केवल उन्हीं प्राप्तियों की 'आय' कहा जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की शर्तें पूरी करती हों।

1) आय एक मौद्रिक प्राप्ति है जो निश्चित समयोपरांत निरंतर निश्चित साधन या साधनों से प्राप्त होती है। आय का साधन निरंतर लाभ देने वाला होना अनिवार्य नहीं है, परन्तु उस साधन का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होना चाहिए।

2) आय किसी व्यक्ति की वास्तविक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली सामयिक प्राप्ति है। आय मुद्रा के रूप में या अन्य वस्तुओं के रूप में प्राप्त हो सकती है। अतः अन्य वस्तुओं के रूप में प्राप्त आय, जिसका मूल्यांकन मुद्रा में संभव हो, करयोग्य होती है।

3) आय के सम्बन्ध में निरंतरता तथा पूर्व आशा होना आवश्यक है। आय में निरंतरता के गुण होने का यह तात्पर्य नहीं है कि एक बार ही मिली हुई राशि आय नहीं हो सकती।

4) आय में वे सभी राशियाँ सम्मिलित की जाती है, जो प्राप्य (रकम) हो गई हैं, परन्तु प्राप्त नहीं हुई।

5) ऐसी प्राप्ति, जिसे आय माना गया हो, करमुक्त हो सकती है।

6) आय का तात्पर्य वास्तविक आय से है, काल्पनिक तथा तकनीकी आय को आयकर अधिनियम, 1961 में आय नहीं माना जा सकता।

7) आय बाह्य स्रोतों से प्राप्त होनी चाहिए। एक छात्र को अपने पिता से मिली हुई खर्च करने की राशि, उसकी आय नहीं होगी।

8) आय अथवा आय के स्रोत का वैध होना ''आय'' की परिभाषा पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अवैध रूप से मिली हुई आय पर भी आयकर का दायित्व होता है, हालाँकि इससे न्याय के अंतर्गत दण्ड से छूट नहीं मिलती।

1.4 व्यक्ति की परिभाषा (Definition of a Person)

आयकर अधिनियम की धारा 2(31) में, "व्यक्ति" को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों की सूची दी गई है, जिसे 'व्यक्ति' शब्द की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। "व्यक्ति" का तात्पर्य निम्न हैः

1) एक व्यष्टि (Individual), उदाहरण : रमेश, हरी, सीता इत्यादि

2) एक हिन्दू अविभाजित परिवार

3) एक कम्पनी

4) एक साझेदारी फर्म

5) व्यक्तियों का संघ अथवा संस्था, चाहे वह निगमित हो अथवा न हो, उदाहरण : सहकारी समिति।

6) एक स्थानीय प्राधिकरण, उदाहरण : नगरपालिका, जिला परिषद आदि ।

7) उपरोक्त के अतिरिक्त कानून द्वारा मान्य कृत्रिम विधिक व्यक्ति (Artificial Judicial Person)

इस प्रकार, हम देखते हैं कि व्यक्ति की परिभाषा बड़ी व्यापक है। एक नाबालिंग व्यक्ति को भी इस परिभाषा में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सम्मिलित किया जा सकता है। उपरोक्त सभी व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आयकर देने के लिए उत्तरदायी है।

1.5 निर्धारिती (करदाता) की परिभाषा

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(7) में निर्धारिती की परिभाषा दी गई है। "करदाता'' का आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर या किसी अन्य प्रकार का भुगतान करने का दायित्व है। "करदाता'' के अंतर्गत निम्न व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता हैः

1) ऐसा प्रत्येक व्यक्तिय जिसकी आय पर करारोपण सम्बन्धी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हो।

2) ऐसा व्यक्ति, जिसपर किसी अन्य व्यक्ति की आय के सम्बन्ध में कर देयता हो।

3) ऐसा व्यक्ति, जिसको कर वापसी लेनी हो।

4) ऐसा व्यक्ति, जिसे आयकर अधिनियम के अधीन करदाता मान लिया गया हो (Deemed to be an assessee)

5) ऐसा व्यक्ति, जिसको अधिनियम के आदेशों की त्रुटि (Default) करने पर करदाता मान लिया गया हो।

निम्न व्यक्तियों को गलती या त्रुटि करने पर करदाता मान लिया जाता हैः

i) ऐसा व्यक्ति, जिसे स्रोत पर कर की कटौती का दायित्व हो और वह नहीं करता।

ii) ऐसा व्यक्ति, जो स्रोत पर कर काटता है परन्तु सरकारी खजाने में जमा नहीं कराता।

iii) ऐसा व्यक्ति, जो अग्रिम आय कर निश्चित समय के अंतर्गत जमा नहीं कराता।

इस प्रकार, करदाता का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी रूप में आयकर देने या कर वापस पाने से सम्बन्धित होता है, उसे आयकर अधिनियम में निर्धारिती कहा जाएगा।

1.6 स्थायी करदाता संख्या (Permanent Account Number)

स्थायी करदाता संख्या एक ऐसी संख्या है, जो एक निर्धारिती का आयकर विभाग में परिचय देती है। करदाता के निवास या व्यापार के स्थान में परिवर्तन होने पर भी स्थायी करदाता संख्या नहीं बदली जाती, बल्कि परिवर्तित निवास स्थान वाले आयकर विभाग को भेज दी जाती है।

ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जिसे अपनी आय पर या किसी दूसरे व्यक्ति की आय पर कर देने का दायित्व हो, स्थायी करदाता संख्या लेना आवश्यक है। यदि करदाता पहली बार आयकर दे रहा हो, और उसे स्थायी करदाता संख्या आबंटित न की गई हो तो उसे इस आशय का फार्म नं. 49A के साथ प्रार्थनापत्र कर–निर्धारण अधिकारी को देना चाहिए।

एक व्यापार चलाने वाले व्यक्ति को, जिसकी गत वर्ष की कुल बिक्री 50,000 रुपये से अधिक होने की संभावना हो, स्थायी करदाता संख्या के लिए आवेदन देना आवश्यक है।

दस अंकों का स्थायी करदाता संख्या

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नई योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटरीयकृत दस अंकों का स्थायी खाता लागू किया था। अतः प्रत्येक व्यक्ति को नया खाता रखना आवश्यक हो गया यद्यपि उसके पास पहले से ही स्थायी खाता संख्या मौजूद हो।

अतः एक व्यक्ति को नई श्रृंखला के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या आंबटित किया गया।

इसके अतिरिक्त, कर–निर्धारण अधिकारी उस किसी भी व्यक्ति को स्थायी करदाता संख्या आबंटित कर सकता है जो उसकी राय में, आयकर देने के लिए उत्तरदायी हो। करदाता अपनी स्थायी करदाता संख्या का उल्लेख केवल आय की विवरणी में ही नहीं करे, बल्कि आयकर विभाग से होने वाले सभी पत्र–व्यवहार एवं दस्तावेजों (Documents) में स्थायी करदाता संख्या का उल्लेख भी करना आवश्यक है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को स्थायी करदाता संख्या लिखने की अनिवार्यता सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार है।

बोध प्रश्न क

1) निम्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान (√) लगाइए:

a) आयकर:

i) राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है।

ii) प्रत्यक्ष कर है।

iii) अप्रत्यक्ष कर है।

b) देश का बजट निम्नलिखित तारीख को संसद में पेश किया जाता है:

i) मार्च के महीने में

ii) फरवरी के महीने में

iii) अप्रैल के महीने में

c) आयकर के नियम बनाने का अधिकार निम्न को है:

i) केन्द्र सरकार

ii) आयकर विभाग

iii) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

d) आकस्मिक आय के करयोग्य होने की निम्न सीमा है:

i) 10,000 रुपए तक

ii) पूरी आकस्मिक आय

iii) 15,000 रुपए तक

e) पैन नम्बर से आशय (PAN NUMBER) है।

i) स्थायी खाता संख्या

ii) व्यक्तिगत खाता संख्या

iii) व्यक्तिगत प्रवेश संख्या

2) ''व्यक्ति'' की परिभाषा दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

3) त्रुटि के लिए माना गया निर्धारिती करदाता कौन व्यक्ति होता है?

.....

.....

.....

1.7 कर–निर्धारण वर्ष (Assessment Year)

कर–निर्धारण वर्ष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(9) में परिभाषित किया गया है। कर–निर्धारण वर्ष का तात्पर्य 12 महीने की उस अवधि से है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होती है। उदाहरणस्वरूप चालू कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 है अर्थात् 1.4.2020 से 31.3.2021 तक की अवधि तक।

इस प्रकार कर–निर्धारण वर्ष एक वित्तीय वर्ष (Financial Year) होता है, जिसमें आयकर का निर्धारण किया जाता है। कर–निर्धारण वर्ष में करदाता को गत वर्ष की आय पर आयकर देना पड़ता है तथा आयकर की दर वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए चालू कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 चल रहा है और इस अवधि में निर्धारिती (करदाता) को गत वर्ष 2019–20 में कमाई गई आय पर कर देने का दायित्व है।

यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपरोक्त नियम के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे गत वर्ष अर्जित की गई आय पर निर्धारण वर्ष में ही कर लगता है। इन अपवादों की चर्चा 1.9 शीर्षक के अंतर्गत की गई है।

1.8 गत वर्ष (Previous Year)

एक करदाता द्वारा गत वर्ष में कमाई गई आय पर सम्बन्धित चालू कर–निर्धारण वर्ष में कर का भुगतान किया जाता है। अतः "गत वर्ष'' शब्द का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। सरल शब्दों में, जिस वर्ष में आय कमाई या प्राप्त की जाती है उसे गत वर्ष कहते हैं। चूँकि कर निर्धारण वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, अतः इससे पूर्व की तिथि 31 मार्च तक की अवधि को गत वर्ष कहते हैं। गत वर्ष को वित्तीय वर्ष (Financial Year) या लेखांकन या हिसाबी वर्ष (Accounting Year) के नाम से भी जाना जाता है।

गत वर्ष प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च तक अवश्य ही समाप्त हो जाना चाहिए क्योंकि अगले ही दिन 1 अप्रैल से उस गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त की गई आय पर कर–निर्धारण प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि गत वर्ष अधिक से अधिक 12 माह के उस हिसाबी वर्ष को कहते हैं जो कर–निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त हुआ हो। उदाहरण के लिए, कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 का गत वर्ष 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ माना जाएगा। गत वर्ष के सम्बन्ध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आवश्यक हैः

1) **पूर्व वित्तीय वर्ष** कर–निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए 2019–20 का वित्तीय वर्ष, गत वर्ष कहलाएगा।

2) **आय के प्रत्येक स्रोत के लिए वित्तीय वर्ष ही गत वर्ष होगा –** पहले कोई भी करदाता अपनी सुविधानुसार गत वर्ष रख सकता था, जैसे, दीवाली वर्ष, दशहरा वर्ष, कलैण्डर वर्ष, किन्तु प्रत्यक्ष कर संशोधन अधिनियम, 1987 के अनुसार अब कोई भी करदाता अलग–अलग गत वर्ष नहीं रख सकता है। यह संशोधन कर–निर्धारण वर्ष 1989–90 से प्रभावी हुआ है। इसके अनुसार आय के सभी स्रोतों के लिए एकसमान गत वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के अपनाया जाना आवश्यक है।

3) **पृथक् आधार पर हिसाबी वर्ष –** यदि कोई करदाता किसी कारणवश अपना हिसाब–किताब वित्तीय वर्ष के आधार पर नहीं रखता है, बल्कि अन्य किसी आधार पर रखता है तो वह ऐसा कर तो सकता है, किन्तु उसे आयकर निर्धारण हेतु अलग से 31 मार्च तक का हिसाब तैयार करना होगा। उदाहरण के लिए, श्रीमान रवि अग्रवाल अपने बहीखाते धार्मिक भावना से प्रेरित होकर दीवाली या दशहरा वर्ष के आधार पर रखते हैं। ऐसी स्थिति में वह ऐसा कर तो सकते हैं, किन्तु आयकर निर्धारण हेतु उन्हें अपना हिसाब अलग से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तैयार करना होगा। ऐसी स्थिति में किसी भी करदाता को ऐसा करने में दो बार हिसाब–किताब तैयार करना पड़ेगा जो व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इस कठिनाई से बचने के लिए अधिकांश करदाता अपना हिसाब–किताब वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के आधार पर ही रखने लगे हैं।

4) **वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुए नए व्यापार या पेशों के लिए गत वर्ष –** यदि कोई व्यापार या पेशा वित्तीय वर्ष के बीच में कभी भी (1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य) शुरु किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम गत वर्ष की अवधि व्यापार या पेशे के शुरु होने की तिथि से आगामी 31 मार्च तक की जानी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि श्रीमान अमित अपना व्यापार 30 जनवरी, 2020 को प्रारंभ करते हैं, तो उनके व्यापार का गत वर्ष 30 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक होगा।

5) **आय के किसी नए स्रोत के लिए गत वर्ष –** यदि किसी वित्तीय वर्ष में आय कमाने का कोई नया स्रोत प्राप्त हुआ है तो उसके लिए गत वर्ष स्रोत के प्रारंभ होने की तिथि से उसके तुरन्त बाद आने वाले 31 मार्च तक की अवधि को माना जाएगा। उदाहरण के लिए, श्रीमान राकेश, जो एक बैंक अधिकारी हैं, अपने मकान को सर्वप्रथम 1 जनवरी 2020 को किराये पर उठाते हैं, तो किराये की इस आय के स्रोत के लिए 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक (केवल 3 माह) की अवधि गत वर्ष मानी जाएगी।

6) **अप्रकट या अस्पष्ट धनराशि के लिए गत वर्ष –** किसी व्यक्ति के खाते में कोई ऐसी धनराशि, आयकर अधिकारी द्वारा पाई जाती है, जिसका वह व्यक्ति संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है, तो इसे अप्रकट या अस्पष्ट धनराशि (Unexplained or undisclosed money) कहते हैं और यह आयकर अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति की आय मान ली जाती है। इस आय के लिए गत वर्ष वहीं होगा जो उस व्यवसाय का है जिसके खातों में यह जमा राशि पाई गई।

7) **फर्म में लाभ के भाग के लिए गत वर्ष –** किसी करदाता का फर्म में लाभ के लिए गतवर्ष वह माना जायेगा जो उस फर्म का गत वर्ष है।

1.9 गत वर्ष की आय का करारोपण उसी वर्ष में होना

जैसा कि पहले बताया गया है कि गत वर्ष की आय पर कर–निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है, परन्तु कुछ आय के सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं होता और उन पर आयकर गत वर्ष में ही देय होता है। गत वर्ष से सम्बन्धित अपवाद निम्न है :

1) **अनिवासी जहाजी कम्पनी की आय (धारा 172) :** किसी अनिवासी जहाज कम्पनी को आयकर अधिनियम की धारा 172 के अनुसार अपनी आय पर उसी वर्ष में कर देना पड़ेगा, जिसमें वह कमाई गई हो। इस धारा के अनुसार, किसी अनिवासी जहाजी कम्पनी के लिए भारत के किसी बंदरगाह से रवाना होने से पहले यह आवश्यक है कि

उसके मास्टर या जहाज के कप्तान को भारत में प्राप्त या प्राप्य आय का विवरण सम्बन्धित कर–निर्धारण अधिकारी को देना पड़ेगा। कर–निर्धारण अधिकारी तुरंत उस आय पर कर निर्धारित करेगा। भारत के बंदरगाह से सामान, पशु अथवा यात्रियों को ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त अथवा प्राप्य आय का 7.5 प्रतिशत भाग जहाज के मालिक की कर योग्य आय मान ली जाती है।

2) **भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय (धारा 174):** आयकर अधिनियम की धारा 174 के अनुसार, यदि कर–निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास हो जाए कि भारत छोड़कर बाहर जाने वाला व्यक्ति पुनः भारत वापस आने का इरादा नहीं रखता तो वह चालू वर्ष में ही ठीक पिछले गत वर्ष की अंतिम तिथि से उस व्यक्ति द्वारा भारत छोड़ने की तिथि से उस व्यक्ति द्वारा भारत छोड़ने की तिथि तक की अवधि की आय का निर्धारण करता है। कर–निर्धारण अधिकारी उस व्यक्ति द्वारा देय आयकर को भी निर्धारित करेगा तथा उस व्यक्ति को भारत छोड़ने से पहले कर भुगतान करने का आदेश देगा।

3) **किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए स्थापित "व्यक्तियों के संघ'' अथवा "व्यक्तियों के निकाय'' अथवा कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति की आय (174A):** आयकर अधिनियम की धारा 174A के अनुसार यदि कर–निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए निर्मित, स्थापित या पंजीकृत किसी व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय अथवा किसी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति का कारोबार उसी कर–निर्धारण वर्ष में अथवा उसके तुरंत बाद हो रहा है, जिसमें यह संघ, निकाय या व्यक्ति निर्मित, स्थापित या पंजीकृत हुआ है तो ऐसे संघ, निकाय या कृत्रिम व्यक्ति की गत वर्ष की समाप्ति से लेकर व्यापार बंद होने की तिथि तक की आय पर उसी कर–निर्धारण वर्ष में कर–निर्धारण किया जाएगा।

4) **कर बचाने के लिए सम्पत्ति के हस्तांतरण से आय (धारा 175) :** निर्धारण अधिकारी की सम्मति में, यदि कोई व्यक्ति कर बचाने के लिए अपनी सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बेचना या हस्तांतरित करना चाहता है तो एसी आय पर उसी वर्ष में जिसमें वह कमाई गई हो, आयकर लगा दिया जाएगा। कर–निर्धारण अधिकारी ठीक पहले गत वर्ष की अंतिम तिथि से हस्तांतरण प्रारंभ होने की तिथि तक आय पर उसी वर्ष में कर का निर्धारण कर देगा।

5) **बंद हुए व्यापार की आयः** यदि किसी वर्ष में कोई व्यापार या पेशा बंद हो जाता है तो ठीक पहले वाले गत वर्ष की अंतिम तिथि से व्यापार या पेशा बंद होने की तिथि तक की आय पर उसी वर्ष में कर निर्धारित कर लिया जाता है। इस प्रकार का वैधानिक प्रावधान है कि व्यापार या पेशा बंद करने वाले व्यक्ति को 15 दिनों के अंदर इस बात की सूचना कर–निर्धारण अधिकारी को दे देनी चाहिए।

1.10 कुल आय की अवधारणा

"कुल आय" का आयकर के अध्ययन में बहुत महत्व है क्योंकि कुल आय पर ही कर लगाया जाता है। कुल आय को अधिनियम की धारा 2(45) में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार कुल आय का आशय आय की कुल राशि तथा लाभ से है जिसे धारा 5 में बताया गया है तथा जो आयकर अधिनियम में बताए गए तरीके से निकाले गए हैं। कुल आय गणना की पद्धति निम्नलिखित हैः

1) सर्वप्रथम, विभिन्न आय के शीर्षों अर्थात् वेतन, मकान सम्पत्ति से आय, व्यापार तथा पेशे का लाभ, पूँजी लाभ एवं अन्य स्रोतों से आय, की गणना उन शीर्षों से सम्बन्धित कटौतियों को घटाकर कीजिए।

2) आय के विभिन्न शीर्षों की शुद्ध आय के कुल योग को "सकल कुल आय" (Gross Total Income) कहा जाता है।

3) ''सकल कुल आय'' से अधिनियम की धारा 80C से 80U तक वर्णित कटौतियों को घटाइए, जो कुछ खर्चों के सम्बन्ध में तथा कुछ कर–योग्य आय के सम्बन्ध में दी गई हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खर्चे जैसे जीवन बीमा निगम प्रीमियम, भविष्य निधि अंशदान, चिकित्सा सम्बन्धी खर्च और विभिन्न आय जैसे लाभांश और ब्याज आदि आते हैं। उपरोक्त धारा 80 की कटौतियों को घटाने के बाद बची हुई कुल आय या कर–योग्य आय कही जाएगी।

1.11 लेखा विधि

लेखाकारों द्वारा तीन प्रकार की लेखा विधियों को मान्यता दी गई है। पहली पद्धति के अन्तर्गत नकदी के आधार पर लेखा किया जाता है, जिसे नकदी विधि या रोकड़ विधि (Cash System) कहा जाता है। इस अवधि में आय का लेखा तभी किया जाता है जब वह वास्तव में प्राप्त हो जाती है। अतः आय उपार्जित होने पर कोई लेखा नहीं किया जाता। दूसरी लेखा विधि के अंतर्गत रोकड़ विधि के विपरीत आय के उपार्जित होते ही पुस्तकों में लेखा कर दिया जाता है। तथा तीसरी विधि रोकड़ विधि तथा उपार्जित आय विधि (Accural Method) का मिश्रित रूप है। इस अवधि में आय का लेखा–जोखा तो रोकड़ विधि के आधार पर किया जाता है, जबकि खर्चों का लेखा उपार्जन विधि या व्यावसायिक विधि (Mercantile System) के आधार पर किया जाता है।

चूँकि निर्धारिती करदाता को किसी भी लेखा विधि को चुनने की स्वतंत्रता है, वह एक बार चुनी गई लेखा पद्धति को समय–समय पर बदल नहीं सकता। इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 145 के अनुसार, व्यापार और पेशे के लाभ और अनुलाभ तथा अन्य स्रोतों से आयष शीर्ष की आय करदाता द्वारा अपनाई गई विधि से निकाली जाएगी, परंतु यदि करनिर्धारण अधिकारी की सम्मति में निर्धारिती द्वारा अपनाई गई लेखा विधि उसकी कुल आय की गणना के लिए उपयुक्त न हो तो कर–निर्धारण अधिकारी आय की गणना के लिए उचित विधि निर्धारित कर सकता है।

यह बात मुकदमे में निर्णय से सिद्ध हो चुकी है कि कर–निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति को अस्वीकार कर सकता है, परन्तु यह भी सच है कि करनिर्धारण अधिकारी निर्धारिती के किसी विशेष लेखा विधि को अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

यदि कोई निर्धारिती लेखा विधि को बदलना चाहता है तो उसे इस आशय का प्रार्थनापत्र कर–निर्धारण अधिकारी को देना चाहिए। प्रार्थना–पत्र में उसे यह प्रमाणित करना चाहिए कि वह स्थायी रूप से लेखा विधि में परिवर्तन चाहता है, न कि अस्थायी या थोड़े समय के लिए। यदि निर्धारिती को प्रार्थना उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो तो करनिर्धारण अधिकारी उसे लेखा विधि परिवर्तन का आदेश दे देता है। रामस्वरूप बंगालीमल बनाम आयकर कमिश्नर 25 आयकर रिपोर्टर 17 (ITR-17) के मुकदमे में यह निर्णय दिया गया कि यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी आयकर विभाग पर है कि करदाता ने लेखा विधि में

परिवर्तन किया है। बंसीलाल अबीरचंद बनाम आयकर कमिश्नर (ICIT 3 ITC-57) के मुकदमे में यह निर्णय दिया गया कि यदि आयकर विभाग ने निर्धारिती की लेखा विधि को स्वीकार करके कई वर्षों तक करारोपण किया है तो वे करदाता को अकस्मात लेखा विधि ा में परिवर्तन करने का आदेश नहीं दे सकते।

बोध प्रश्न ख

1) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

   a) कर–निर्धारण वर्ष वह वित्तीय वर्ष होता है जिसमें ..... होता है।

   b) कर–निर्धारण वर्ष प्रति वर्ष ..... को समाप्त होता है।

   c) गत वर्ष कर–निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वाली ..... होती है।

   d) कुल आय का तात्पर्य ..... आय से है जिसपर आयकर देय होता है।

   e) बंद हुए व्यापार की आय पर ..... वर्ष में करारोपण होता है।

2) "एक्स" ने अपना व्यापार 1 अक्तूबर, 2019 को प्रारंभ किया तथा 31 मार्च 2020 को वह अपनी लेखा पुस्तकें बंद नहीं करता। उसकी आय के लिए कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के सम्बन्ध में गत वर्ष की अवधि क्या होगी?

.....

.....

.....

.....

.....

1.12 सारांश

आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, जो भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के माध्यम से लगाया जाता है। छात्रों को आयकर अधिनियम, 1961; आयकर नियम, 1962; चालू वर्ष के वित्त अधिनियम एवं उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का ज्ञान होना चाहिए।

आयकर अधिनियम "आय" (Income) की विस्तृत परिभाषा नहीं देता, बल्कि उन मदों का विवरण देता है जो ''आय" की परिभाषा में शामिल होती हैं। इसी प्रकार की परिभाषा 'व्यक्ति' के बारे में भी दी गई है।

कर–निर्धारण वर्ष का तात्पर्य चालू वित्तीय वर्ष से है, जिसमें ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष अर्थात् गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है, परन्तु कुछ परिस्थितियों में आय पर उसी वित्त वर्ष में कर लगा दिया जाता है जिसमें वह कमाई गई हो और आयकर अधिकारी करारोपण के लिए अगले वर्ष की प्रतीक्षा नहीं करता।

सकल कुल आय का आशय विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत शुद्ध कर–योग्य आय के योग से है। सकल कुल आय से कटौतियों (deduction) को घटाने के बाद बची हुई आय को कुल आय कहा जाता है, जिसपर आयकर लगाया जाता है।

निर्धारिती अपनी आय के लेखा करने के लिए रोकड़ विधि या उपार्जित आय विधि अपना सकता है, परन्तु लेखा विधि अपनाने के पश्चात कर–निर्धारण अधिकारी की अनुमति के बिना उसे बदला नहीं जा सकता।

1.13 शब्दावली

निर्धारिती : निर्धारिती (करदाता) का आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसे आयकर अधिनियम 1961 के अधीन कर या अन्य किसी राशि का भुगतान करना है।

कर–निर्धारण वर्ष : यह बारह महीने की वह अवधि है जो हर वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होती है।

सकल कुल आय : विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कर–योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं।

स्थायी करदाता संख्या : यह दस अंकों वाला स्थिाई नम्बर आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक निर्धारिती (करदाता) को आंबटित एक संख्या है।

गत वर्ष : गत वर्ष बारह महीने की वह अवधि है जो कर–निर्धारण वर्ष से ठीक पहले आती है।

कुल आय : ऐसी आय होती है, जिसपर आयकर की गणना की जाती है और उस पर कर देय होता है।

1.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) 1) a) (ii), b) (ii), c) (iii), d) (i), e) (i),

ख) 1) a) कर–निर्धारण, b) 31 मार्च, c) वित्तीय वर्ष,
d) कर योग्य, e) उसी वर्ष।

2) 6 महीने

1.15 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

1) "गत वर्ष की आय पर कर–निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है व्याख्या कीजिए।

2) निम्नलिखित में अंतर बताइए :
   i) सकल कुल आय तथा कुल आय
   ii) गत वर्ष तथा कर–निर्धारण वर्ष

3) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत क्या निम्न "आय" इस अधिनियम की परिभाषा के अंतर्गत आती है?
   i) पुरानी पुस्तकों की बिक्री पर प्राप्त राशि
   ii) भारत सरकार की किसी भी योजना के अन्तर्गत निर्यात के लिए नकद सब्सिडी
   iii) उत्पाद शुल्क की वापसी

iv) शेष शुक्ल

v) पूर्व के अशोध्य ऋणों की वसूली

vi) साझेदारों बिना दावों का शेष

vii) साझेदार के अधिकारों को त्यागने की क्षतिपूर्ति

viii) करदाता निर्धारितों द्वारा प्राप्त लाभ या अनुलाभ का मूल्य

ix) Keyman इन्शोरेंस के अन्तर्गत प्राप्त राशि

x) विपणन संघ या सत्ता की आय

उत्तरः

i) नहीं i) हाँiii) हाँ iv) हाँ v) हाँ

vi) नहीं vii) नहीं viii) हाँix) हाँ x) हाँ

नोटः इस इकाई को अच्छी तरह समझने के लिए यह प्रश्न और अभ्यास आपको सहायता करेंगे। इनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए परन्तु अपने उत्तर विश्वविद्यालय को न भेजें। ये केवल आपके अभ्यास के लिए हैं।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 2 आधारभूत संकल्पनाएँ

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 कृषि आय

- 2.2.1 कृषि आय की परिभाषा
- 2.2.2 कृषि आय के प्रकार
- 2.2.3 कृषोत्तर आय के उदाहरण
- 2.2.4 अंशतः कृषि आय
- 2.2.5 गैर कृषि आय में कृषि आय का एकीकरण

2.3 आकस्मिक आय की अवधारणा

- 2.3.1 आकस्मिक आय की परिभाषा एवं कर दायित्व
- 2.3.2 आकस्मिक आय के कुछ उदाहरण

2.4 पूँजीगत तथा आयगत प्राप्तियाँ

- 2.4.1 प्राप्तियों की प्रकृति का निर्धारण
- 2.4.2 पूँजीगत तथा आयगत प्राप्तियों के उदाहरण

2.5 सारांश

2.6 शब्दावली

2.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.8 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

2.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- कृषि आय तथा उसके करारोपण को स्पष्ट कर सकेंगे;
- आकस्मिक आय तथा उसके करारोपण का विवेचन कर सकेंगे; तथा
- पूँजीगत और आयगत प्राप्तियों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगें।

2.1 प्रस्तावना

इकाई 1 में आपने भारतीय आयकर अधिनियम में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों के बारे में अध्ययन किया है अब दो शब्दों अर्थात् "कृषि आय" और "आकस्मिक आय" का विस्तृत विवेचन करना आवश्यक है क्योंकि कुछ सीमाओं के अंतर्गत इन्हें आयकर से मुक्त घोषित किया गया है। इस इकाई में पूँजीगत तथा आयगत प्राप्तियों तथा उनके अंतर की भी व्याख्या की गई है।

2.2 कृषि आय

भारतीय आयकर अधिनियम के अधीन कृषि आय पर आयकर नहीं लगाया जाता है क्योंकि कृषि राज्य का विषय है, केवल राज्य सरकार को ही कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार

प्राप्त है। इस आय पर छूट इस अधिनियम की धारा 10(1) के अधीन दी गई है। चूंकि इस आय पर कर नहीं लगाया जाता है, इसलिए इसके स्पष्टीकरण का बहुत महत्व है। यह स्वाभाविक है कि करदाता अपनी कुछ आय को कृषि आय के रूप में दिखाकर कर की छूट प्राप्त करना चाहेगा। भले ही, वह प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी न हो। दूसरी ओर, आयकर अधिकारी कृषि आय शब्दों की विस्तृत परिभाषा करना चाहेगा। इस प्रकार कृषि आय शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच विवाद होने की संभावना होती है। इस बात को ध्यान में रखकर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(1A) में कृषि आय की परिभाषा विस्तारपूर्वक दी गई है।

2.2.1 कृषि आय की परिभाषा

धारा 2(1A) के अनुसार "कृषि आय का तात्पर्य ऐसी भूमि से प्राप्त लगान या आय से है जो भारत में स्थित है और कृषि कार्यों के प्रयोजनों [2(1A)],, के लिए प्रयुक्त होती है।'' इस परिभाषा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी प्रकार के किराये या राजस्व (नकद या वस्तु) का स्वरूप कृषि से सम्बन्धित केवल तभी होगा यदि निम्न शर्ते पूरी होती है;

a) लगान या आय भूमि से प्राप्त की गई है,

b) भूमि भारत में स्थित है, और

c) भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है।

चूंकि आय के स्वरूप का निर्धारण ''कृषि" शब्द करेगा, इसलिए हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि कृषि क्या है? भूमि पर कृषि से प्राप्त वहीं आय कही जाती है जब उस भूमि पर मनुष्य का श्रम तथा कार्यकुशलता लगी हो, भले ही यह खेती या किसी अन्य रूप में हो। यद्यपि खेत को जोतना कृषि कार्य का आवश्यक अंग नहीं है, फिर भी मनुष्य को खेती के लिए अपने श्रम तथा कार्यकुशलता का प्रयोग करना आवश्यक है।

उच्चतम न्यायलय ने आयकर आयुक्त (CIT) बनाम राजा विनय कुमार सहस राय के मुकदमें में कृषि तथा कृषि उद्देश्यों की व्याख्या की है। निर्णय का सम्बन्धित अंश नीचे दिया गया है।

i) कृषि का तात्पर्य जमीन पर खेती के प्राथमिक कार्यों से है और प्राथमिक कार्यों से तात्पर्य उन कार्यों से है जो फसल उपजाने के लिए पहले करने पड़ते हैं तथा जिसका अर्थ यह है कि खेत की जुताई करना, बीज बोना, पौध लगाना तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करना। इस कार्य में वे सभी कार्य शामिल है जिनसे उपज को बढ़ाया जाता है और उत्पाद को सुरक्षित रखा जाता है तथा वे कार्य भी करने पड़ते हैं जिनसे उत्पाद को विपणन योग्य बनाया जाता है। इन शब्दों के अर्थ की परिधि में सभी प्रकार के उत्पाद आते हैं, भले ही वे अपने स्वरूप में चाहे जिस तरह के हों।

ii) यह निश्चित करने के लिए कि किसी भू–खंड विशेष का इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए किया गया है या नहीं, भूमि की जुताई सम्बन्धी कुछ मानदण्ड तथा उस भूमि पर लगाया गया कौशल और श्रम का मानदण्ड रखना होगा। अतः जंगल में प्राकृतिक रूप से उगे हुए तथा मानव श्रम के बिना ही पले–बढ़े वृक्षों की बिक्री से हुई आय को कृषि आय नहीं कहा जा सकता।

2.2.2 कृषि आय के प्रकार

कृषि आय को निम्न पाँच श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:

i) भूमि से प्राप्त लगान या आय

ii) कृषि से प्राप्त आय

iii) कृषक द्वारा किए गए विपणन कार्य से हुई कोई आय या वस्तु के रूप में किराए की प्राप्ति

iv) उपज की बिक्री से प्राप्त आय

v) कृषि भूमि पर स्थित मकान से प्राप्त आय।

(ii), (iii) और (iv) को एक ही शीर्षक के अंतर्गत समझा जा सकता है। अब हम विभिन्न प्रकार की कृषि आय पर विस्तारपूर्वक विचार करेंगे।

i) **भूमि से प्राप्त लगान या आमदनीः** भारत में स्थित कृषि कार्यों के लिए उपयोग की गई भूमि का लगान (किराया) या उससे हुई आमदनी कृषि आय कही जाएगी। भूमि से प्राप्त किराया एक व्यक्ति द्वारा दूसरे किसी व्यक्ति को भूमि से प्राप्त किराया, भूमि के उपयोग करने का अधिकार देने पर प्राप्त की गई आय है। किराया या तो नकद या कृषि उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। किराया प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए भूमि का स्वामी होना आवश्यक नहीं है, यदि भूमि को किसी व्यक्ति द्वारा किराए पर उठा दिया गया हो और उसे कृषि उत्पाद के रूप में किराया प्राप्त होता है तो उसे "वस्तु के रूप में किराया प्राप्त करने वाला व्यक्ति" कहा जाएगा। किराए को वस्तु के रूप में प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा यदि उत्पाद को विपणन योग्य बनाने हेतु कोई कार्य करने के लिए भूमि का इस्तेमाल किया जाता है अथवा ऐसे उत्पाद की बिक्री से उसे कोई आय होती है तो इस आय को भी कृषि आय माना जाएगा। निःसंदेह, यह आय, कृषक को प्राप्त कृषि आय है।

ii) **ऐसी भूमि पर कृषि से उत्पन्न आय या विनिर्माण प्रक्रिया से हुई आय, धारा 21 (1A)(b):** यहाँ पर ''ऐसी भूमि'' शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐसी भूमि से तात्पर्य भारत की उस कृषि योग्य भूमि से है जिसका उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया हो। निम्नलिखित कार्यकलापों से उत्पन्न हुई आय को कृषि आय कहा जाएगाः

a) कृषि कार्यों से प्राप्त आय।

b) सामान्यतया ऐसी प्रक्रिया से प्राप्त आय जो उत्पादन को विपणन योग्य बनाने के लिए की जाती है।

c) उपर्युक्त (b) में उल्लिखित प्रक्रिया के अतिरिक्त कोई अन्य प्रक्रिया अपनाए बिना कृषक द्वारा उत्पाद को बेचने से हुई आय।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कृषकों को अपने उत्पाद को विपणन योग्य बनाना आवश्यक होता है क्योंकि वह उत्पाद उसी रूप में बेचा नहीं जा सकता है। उसे वह प्रक्रिया अपनाने की छूट होती है, जिसे आमतौर पर सभी कृषक अपने उत्पाद को विपणन योग्य बनाने के लिए अपनाते हैं। चूँकि तम्बाकू की पत्तियों को बेचने से पहले उन्हें सुखाया जाता है इसलिए तम्बाकू की सुखाई गई पत्तियों को बेचने से प्राप्त आय कृषि आय की श्रेणी में आएगी। तथापि उसी तंबाकू से बीड़ी बनाकर बेचने से प्राप्त आय को कृषि आय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस स्थिति में विपणन योग्य उत्पाद को और अधिक संसाधित किया गया होता है तथा अधिक मूल्यवान बनाया गया होता है।

iii) **कृषि–भवन जैसी सम्पत्ति या फार्म भवन या उसके निकट जैसी सम्पत्ति से हुई आय, धारा 2(1A)(C):** निम्नलिखित मामलों में किसी भवन से प्राप्त आय को कृषि आय कहा जाएगाः

a) किसी भी ऐसी भूमि का किराया या आमदनी प्राप्त करने वाला व्यक्ति भवन या स्वामी हो या वह भवन उसके अधिग्रहण में हो।

b) भवन, भारत में कृषि योग्य भूमि पर ही स्थित हो या उस भूमि के बिल्कुल आस पास हो।

c) उक्त कृषक द्वारा भवन का उपयोग अपने निवास, भण्डारगृह या बाहरी घर (आउट हाउस) के रूप में भूमि से जुड़े कार्यों के लिए किया जाता हो।

d) वह भूमि, जिस पर मकान स्थित है, भू–राजस्व के अधीन हो या उस पर ऐसा स्थानीय कर लगता हो जिसका निर्धारण व वसूली सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाती हो।

e) यदि उस भूमि पर भू–राजस्व देय न हो तो वह शहरी क्षेत्र से बाहर होनी चाहिए अर्थात् वह भूमि कैंटोन्मेंट बोर्ड या छावनी बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड, अधिसूचित क्षेत्र, नगर क्षेत्र, नगर निगम तथा इसी प्रकार के अन्य नाम से समझे जाने वाले क्षेत्र के अंतर्गत न हो जिसकी जनसंख्या 10,000 (दस हजार) या इससे अधिक हो।

f) यदि इसे केन्द्रीय सरकार के गजट (राजपत्र) में अधिसूचित किया गया है तो यह भूमि नगरपालिका से आठ किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित न हो। अथवा उस नगरपालिका की अधिकारिता से ऐसी निम्नतम सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित न हो जैसा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करें।

2.2.3 कृषोत्तर आय के उदाहरण

निम्नलिखित आय यद्यपि भूमि से सम्बन्ध है फिर भी इसे कृषि आय नहीं माना जाएगाः

1) कृषि भूमि के विक्रेता या कृषि के किसी खण्ड पर अपना दावा छोड़ने वाले व्यक्ति को देय वार्षिकी की राशि ।
2) कृषि उत्पादन के विक्रय से प्राप्त कमीशन की राशि।
3) डेयरी फार्म से प्राप्त आय।
4) अनियंत्रित रूप से बढ़ने वाले जंगली पेड़ों को बेचने से प्राप्त आय।
5) मछली पालन से प्राप्त आय।
6) रूई की धुनाई से प्राप्त आय।
7) खरीदी गई भूमि पर फसल की पैदावार से प्राप्त आय
8) लकड़ी या फसल रखने के लिए भूमि को किराए पर देने से प्राप्त आय।
9) कृषि आय से लाभांश का भुगतान
10) भू–स्वामी द्वारा कृषि उत्पादन बेचने से प्राप्त कमीशन।
11) खड़ी फसल को खरीदकर उस उत्पाद को बेचने से प्राप्त आय।
12) रेशमी कीड़ों को पालने से प्राप्त आय।

13) पत्थरों की खानों से प्राप्त आय।

14) खानों की रॉयल्टी से प्राप्त आय।

15) मुर्गी पालन से प्राप्त आय।

16) ईट बनाने हेतु प्रयुक्त भूमि की आय

17) तालाब में सिंघाडे उगाने से प्राप्त आय।

18) सैन्य प्रयोग हेतु ली गई भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त क्षतिपूर्ति।

19) वक्फ के मुत्तवली या ट्रस्टी को वक्फ की कृषि आय से प्राप्त पारिश्रमिक।

20) गन्ने की खेती में लगे करदाता की ट्रेण्डर फार्म विक्रय करने से होने वाली आय।

21) नर्सरी के रखरखाव एवं संचालन से होने वाली आय।

2.2.4 अंशतः कृषि आय (Partly Agricultural Income)

कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनको स्पष्ट रूप से कृषि आय या कृषोत्तर आय की श्रेणी में रखना कठिन हो जाता है क्योंकि ऐसी आय किन्हीं रूपों में तो कृषि आय की तरह होती है और किन्हीं रूपों में व्यापार आय की तरह होती है। ऐसी आय को अंशतः कृषि आय कहा जाता है। उदाहरण के लिए गन्ना उत्पादन करके चीनी बनाने वाली चीनी मिल की कुल आय अंशतः कृषि आय होती है क्योंकि गन्ना काटकर बेचने तक की आय कृषि आय की प्रकृति की है जबकि चीनी के उत्पादन से हुई आय, कर लगाए जाने योग्य होगी। अतः 60 प्रतिशत आय कृषि आय तथा 40 प्रतिशत व्यापारिक आय मानी जाती है। इसी प्रकार चाय बागानों की चाय बेचने से प्राप्त आय भी अंशतः कृषि आय है। अंशतः कृषि आय के उपरोक्त दोनों उदाहरणों को आयकर नियमावली, 1962 के नियम संख्या 7 व 8 में समझाया गया है।

आंशिक रूप से कृषि आय के उदाहरण

1) **चाय के अतिरिक्त कृषि उत्पाद के बढ़ने और निर्माण से आय (नियम 7):** यह नियम तेल, वनस्पति घी, आटा, चीनी आदि के कारखानों में लागू है, यह उन निर्माताओं पर लागू होता है जो अपने माल बनाते और बेचते हैं जिसमें कृषि माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं इसे कृषि का उपयोग इसमें कृषि और गैर-कृषि आय दोनों शामिल हैं। इस मामले में कृषि उपज की बिक्री आंशिक रूप से कृषि आय होगी और बाजार मूल्य कृषि आय होगी।

2) **चाय बागानों की आय (नियम 8):** चाय के निर्माण और बिक्री से प्राप्त कुल आय को कृषि आय नहीं माना जाता है। हालाँकि, कुल आय का 60 प्रतिशत कृषि आय के रूप में माना जाता है और बाकी की आय को गैर-कृषि या व्यावसायिक आय के रूप में माना जाता है।

3) **रबर के उत्पादन से आय (नियम 7A):** रबड़ की बिक्री से प्राप्त कुल आय का 65 प्रतिशत या आयकरदाता द्वारा निर्मित और संसाधित रबड़ को कृषि आय माना जाता है और शेष 35 प्रतिशत आय गैर कृषि आय माना जाता है। नये संयंत्र के सम्बन्ध में और मृत संयंत्र से संबंधित खर्चों को लागत में शामिल किया जाएगा। रबर बोर्ड से प्राप्त किसी भी सब्सिडी को उत्पादन की लागत से घटाया जाएगा।

4) **कॉफी के उत्पादन से आयः (नियम 7B)** यदि कॉफी उत्पादन भारत में किया जाता है तो 75 प्रतिशत आय और 25 प्रतिशत को गैर-कृषि आय माना जाएगा। हालाँकि यदि कॉफी को भूनना या तपाने के बाद और कुछ स्वाद आदि को जोड़ने के बाद बेचा जाता है, तो ऐसी आय का 60 प्रतिशत कृषि आय के रूप में और शेष 40 प्रतिशत व्यावसायिक आय या गैर-कृषि आय के रूप में माना जाएगा। इसके बारे में कुल आय की गणना के लिए उन पौधों से संबंधित खर्चों को उत्पादन की लागत में शामिल किया जाएगा जिन्हें मृत पौधों के स्थान पर लगाया गया है, लेकिन कॉफी बोर्ड द्वारा प्राप्त किसी भी अनुदान या सहायता को लागत से घटाया नहीं जाएगा।

2.2.5 गैर-कृषि आय में कृषि आय का एकीकरण

जैसा कि पहले से ही चर्चा की गई है कि कृषि आय पर कोई कर नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई करदाता कृषि के साथ-साथ गैर-कृषि आय भी अर्जित करता है, तो ऐसी कृषि आय को उसकी कुल आय से जोड़कर गैर-कृषि आय की तरह गणना की जाती है।

गैर कृषि आय का एकीकरण निम्नलिखित निम्न दोनों नियमों के संतुष्ट होने पर होगा।

1) शुद्ध कृषि आय 5000 रु. से अधिक हो और

2) करदाता की गैर कृषि आय करमुक्त सीमा 2,50,000 रु. से अधिक होनी चाहिए। (60 वर्ष के व्यक्ति से ऊपर आयु वाले व्यक्ति)

   अशतः एकीकरण निम्न में इन स्थिति में लागू होता है।

   i) व्यक्ति

   ii) हिन्दू अविभाजित परिवार

   iii) व्यक्तियों का संघ (AOP) एवं व्यक्तियों का निकाय (BOI) इत्यादि

   iv) कृत्रिम कानूनी व्यक्ति

   यह निम्न पर लागू नहीं होगा।

   (i) फर्म (ii) कम्पनी (iii) सहकारी समिति (iv) स्थानीय प्राधिकरण

यह इन पर लागू नहीं होते हैं इस अवधारणा को गैर कृषि आय में कृषि आय का एकीकरण कहते है।

गतवर्ष में, व्यक्ति (चाहे पुरुष हो या महिला) जो भारत में निवासी हो और 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम के व्यक्ति को 250,000 की जगह 3,00,000 अधिकतम की छूट प्राप्त होगी। लेकिन यदि व्यक्ति की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, तो अधिकतम छूट सीमा 2,50,000 की जगह 5,00,000 होगी।

कृषि आय के होने पर कर की गणना के चरणः

नीचे दिये गये चरणों के आधार पर कर की गणना।

1. कृषि आय और गैर कृषि आय को जोड़े और कुल पर कर की गणना करें जैसे कि यह कुल आय है।
2. उपलब्ध अधिकतम छूट सीमा में कृषि आय को जोड़े और इस तरह की राशि पर कर की गणना करे जैसे कि कुल आय में।

3. चरण 1 में कर की गणना के पश्चात चरण 2 में कर की गणना करें और चरण 1 में से 2 को घटा से गणना की गई राशि करदाता निर्धारिती द्वारा कुल आयकर देय होगी।
4. धारा 37A के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत करें, यदि लागू हो।
5. अधिभार जोड़ें और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ 4% यदि लागू हो।

उदाहरण 1

1) भूमि पर कृषि करने से कृषि आय ज्ञात कीजिएः

i) कृषि उत्पाद की बिक्री से आय (sale proceeds of agricultural produce) 1,70,000

ii) उपकरणों पर ह्रास (Depreciation of equipments) 7,000

iii) श्रमिकों का खर्चा (Labour charges) 25,000

iv) बीजों की लागत (Cost of seeds) 5,000

v) खाद की लागत (Cost of fertilizers) 30,000

vi) बिजली खर्च (Electricity charges 13,000

हल

कृषि आय की गणना	**रु.**	**रु.**
कृषि उत्पादन की विक्री से आय		1,70,000
घटायें : खर्च		
i) उपकरणों पर ह्रास	7,000	
ii) श्रमिकों के खर्च	25,000	
iii) बीजों की लगात	5,000	
iv) खाद की लागत	3,000	
v) बिजली खर्च	13,000	53,000
कृषि आय		1,17,000

उदाहरण 2

मि. राम किशन काफी, रबर एवं चाय की सम्पदा से आय प्राप्त करता है। उसकी एक नर्सरी भी है जिसमें वह पौधे उगाता है और बेचता है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष की सम्पदा एवं नर्सरी की निम्नलिखित आय से कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कर योग्य आय की गणना कीजिए।

i) रबर निर्माण (Manufacturer of Rubber 8,50,000

ii) कॉफी उगाकर निर्माण एवं संसाधित करना 2,50,000

iii) चाय निर्माण 3,50,000

iv) नर्सरी के पौधे बेचना 1,00,000

हल

श्री रामकिशन की कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए करयोग्य आय	
i) काफी उगाकर निर्माण एवं संसाधित करना (व्यावसायिक आय 25% होगी)	रु. 62,500
ii) रबड निर्माण (व्यवसायिक आय 35%)	2,97,500
iii) चाय निर्माण (40% आय व्यावसायिक आय होगी।	1,40,000
iv) नर्सरी के पौधे बचना	कर मुक्त
करयोग्य आय	**5,00,000**

नोटः नर्सरी के पौधों के विक्रय से प्राप्त आय, कृषि आय है। अतः यह कर–मुक्त है।

बोध प्रश्न क

1) निम्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर पर सही (√) का निशान लगाइएः

i) आयकर अधिनियम, 1961 में कृषि आय को उसके कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया क्योंकि

a) भारत में समाजवादी लोकतंत्र है।

b) कृषि राज्य के विषय क्षेत्र में आती है।

c) सरकार किसानों को बढ़ावा देना चाहती है।

ii) निम्नलिखित में से कौन सी आय कृषोत्तर आय है?

a) डेयरी से हुई आय

b) तंबाकू की पत्तियों को सुखाने के लिए किराए की दी गई भूमि से अर्जित आय।

c) कपास की फसल के लिए जुताई एवं बुआई से हुई आय।

iii) ऐसे कृषि उत्पादों का बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए जो सामान्यतया बाजार मे बेचे न जाते हो, लाभ निम्नलिखित में से कौन–सा है?

a) कुल व्यय का 15 प्रतिशत एक समान दर।

b) कृषक द्वारा निर्धारित की गई राशि।

c) कर–निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई राशि।

iv) ऐसी करदाता जिसकी कृषोत्तर आय में कृषि आय को जोड़ा नहीं जाता, निम्नलिखित में से कौन–सा है?

a) कोई कम्पनी

b) कोई व्यक्ति

c) कोई हिन्दू अविभाजित परिवार

2) बताइए कि निम्न कथन सत्य हैं या असत्य?

i) चाय का उत्पादन करने वाली और उसे बेचने वाली किसी कम्पनी की आय व्यापारिक आय मानी जाती है।

ii) कृषि आय और कृषोत्तर आय को एक साथ शामिल करने के उपबंध की दर निर्धारित करने के लिए लागू होंगे, भले ही कृषोत्तर आय कुछ भी क्यों न हो।

iii) किसी आय का स्रोत कृषि आय है, यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी करदाता की है।

iv) कृषि उत्पाद को खेत से फैक्टरी में ले जाने से सम्बन्धित परिवहन व्यय कृषि आय माना जाता है।

2.3 आकस्मिक आय की अवधारणा (Concept of Casual Income)

आपको याद होगा कि पिछली इकाई में हमने ''आय'' के लक्षण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लक्षण यह देखा था कि आय एक प्रकार से नियमित रूप में होती है या कम से कम नियमित रूप से होने की उम्मीद की जाती है। तथापि, कुछ ऐसी आय हो सकती है जो नियमित प्रकार की नहीं होती है और जो आय के किसी स्रोत से उत्पन्न नहीं होती है। इन्हें आकस्मिक आय कहा जाता है।

2.3.1 परिभाषा और आकस्मिक आय पर कर दायित्व

यदि किसी करदाता को कोई आय बिना पूर्वानुमान के, अचानक (accidently) से या पूर्वानुमान प्राप्त हो जाती है, और आय बार–बार प्राप्त होने वाली प्रकृति की नहीं होती है तो ऐसी आय को आकस्मिक आय मानी जाती है। इसके अन्तर्गत सट्टेबाजी, लॉटरी से जीत, ताश के खेल से आय, घुड़दौड़ से आय, वर्ग पहेली इत्यादि से आय शामिल है।

अधिकतम राशि 10,000 रु0 तक (घुड़दौड़ की दशा में 5,00,000 तक) कर मुक्त है। उपरोक्त राशि से अधिक की कोई आकस्मिक आय, ''अन्य स्रोतों से आय'' के शीर्ष के अन्तर्गत कर योग्य होगी।

आकस्मिक आय के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

i) आकस्मिक आय 30 प्रतिशत की दर से कर योग्य होगी।

ii) आकस्मिक आय प्राप्त करने में भुगतान किया गया काई भी व्यय, किसी भी आय से नहीं काटा जाएगा।

iii) आकस्मिक हानि की पूर्ति किसी भी आय से नहीं की जायेगी।

iv) व्यक्तिगत उपहार जैसे शादी का उपहार और जन्मदिन का उपहार परिवार के स्नेह के कारण दिया जाता है, अतः इसे आय में शामिल नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए पति द्वारा पत्नी को उपहार, अपने पिता द्वारा पुत्र को उपहार, किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा किसी रिश्तेद्वार को उपहार आदि।

2.3.2 आकस्मिक आय के कुछ उदाहरण

निम्नलिखित आय आकस्मिक आय मानी गई हैं:

1) कोई धन या कीमती वस्तु सड़क पर पड़ी हुई मिल जाना।
2) लॉटरी में जीती हुई धनराशि
3) वर्ग पहेली, ताश के खेल शर्त अथवा किसी भी प्रकृति के जुए में जीती हुई धनराशि
4) किसी विवाद में पंच बनने का पारिश्रमिक प्राप्त करना (बिना पूर्व प्रावधान के)।
5) किसी खोये हुए बच्चे को ढूढँकर लाने वाले व्यक्ति को मिला इनाम (इनाम घोषित होने के पूर्व)
6) घुड़दौड़ या अन्य किसी दौड़ में जीती राशि।
7) टिकट व सिक्के संग्रह एवं बागवानी से प्राप्त इनाम।

निम्नलिखित में से सभी अथवा एक से जीती हुई रकम कर योग्य होगी।

i) लाटरी से जीत
ii) वर्ग पहेली से जीत
iii) दौड़ (घुड़दौड़ सहित) से जीत
iv) किसी भी प्रकृति के जुए अथवा शर्त की जीत

निम्नलिखित आय को आकस्मिक आय के रूप में नहीं माना जाएगा

i) किसी अनुबन्ध के तहत कोई भुगतान जैसे पति अपनी पत्नी को किसी अनुबन्ध के तहत भरण पोषण के लिए निर्वाह भत्ता प्रदान करता है को आकस्मिक आय नहीं मानी जाएगी अतः यह राशि कर योग्य मानी जायेगी।
ii) किसी भी व्यवसाय या पेशे में अर्जित पूंजीगत लाभ या प्राप्ति।
iii) वेतन भोगी द्वारा प्राप्त बोनस, ग्रेच्युटी या अनुलाभ जैसे प्राप्तियाँ
iv) स्वैच्छिक भुगतान आकस्मिक आय नहीं है जैसे नौकरानियों को दिये जाने वाला बख्शीस, वेटरों को दिये जाने वाला बख्शीस, ग्राहक को दी जाने वाली किसी भी सेवा के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि (या तो पैसे में या किसी चीज में) आकस्मिक आय नहीं है।

2.4 पूँजीगत तथा आयगत प्राप्तियाँ

पूँजी तथा आय शब्द का महत्व केवल लेखाकरण की दृष्टि से ही नहीं है बल्कि कराधान के लिए भी इन दोनों के अंतर को जानना महत्वपूर्ण है। साधारणतया जब हम कोई टिकाऊ वस्तु खरीदते हैं तो हम उसे पूँजीगत व्यय का नाम देते हैं। उदाहरण के लिए, फर्नीचर की खरीद के लिए किया गया व्यय, पूँजी व्यय माना जाता है और उसे तुलनपत्र में परिसम्पत्तियों की ओर दिखाया जाता है। दूसरी ओर किसी सम्पत्ति के रखरखाव या मरम्मत के लिए किया गया व्यय, नेमी प्रकार का व्यय माना जाता है। इसलिए उसे लाभहानि खाते के नामे (डेबिट) दिखाया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई प्राप्ति किसी सम्पत्ति के बदले में मिलती है तो उसे हम पूँजीगत प्राप्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भूखंड को बेचने

से मिली 2,00,000 रुपए की राशि पूँजीगत प्राप्ति कही जाएगी जबकि किसी वकील द्वारा अपने पेशे से अर्जित की गई राशि, आमदनी की राशि होगी। यह एक दिलचस्प बात है कि आयकर अधिनियम, 1961 में पूँजीगत तथा आयगत की अवधारणा को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है इसलिए पूँजीगत तथा आयगत का अंतर समझने के लिए हमें बही खाते के सिद्धान्त तथा न्यायालय के निर्णयों से ही सहायता लेनी पड़ती है।

लेखाकरण सम्बन्धी कठिनाइयों के अतिरिक्त, पूँजीगत तथा आयगत प्राप्तियों के अंतर का करदाता की कर–योग्यता निर्धारित करने में भी बहुत महत्व है क्योंकि आयगत प्राप्तियाँ सामान्यतया कर–योग्य होती हैं लेकिन पूँजीगत आय के सम्बन्ध में ऐसा नहीं होता। तथापि, यदि बेची गई परिसम्पत्ति अधिशेष होती है (किसी परिसम्पत्ति की बिक्री कीमत उसके लागत से अधिक हो) तो इसे पूँजीगत अधिलाभ कहा जाता है और इसे आयकर अधिनियम के उपबंध के अधीन माना जाएगा। अतः यदि प्राप्तियों को उपर्युक्त की भाँति समुचित ढंग से वर्गीकृत नहीं किया जाता तो कर देयता का सही–सही निर्धारण नहीं किया जा सकता।

2.4.1 प्राप्तियों की प्रकृति का निर्धारण

न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर किसी प्राप्ति के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्दिष्ट किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शन पर नीचे चर्चा की गई है:

1) अचल पूँजी या विक्रय स्टॉक के बेचने से कीमत के रूप में या मुआवजे के रूप में कोई प्राप्ति आयगत प्राप्ति होगी जबकि पूँजीगत परिसम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि पूँजीगत प्राप्ति मानी जाएगी। पूँजीगत परिसम्पत्ति का इस्तेमाल वस्तुओं के विनिर्माण या आय अर्जित करने के लिए किया जाता है जैसे – मशीन इत्यादि।

2) किसी आय के स्रोत के बदले में अन्य प्रकार की प्राप्ति पूँजीगत प्रकृति की होगी जबकि आय के बदले में प्राप्त राशि ऐसी आय होगी जिस पर कर लगेगा। उदाहरण के लिए, किसी अभिकरण को नुकसान उठाने पर उसे दिया गया मुआवजा पूँजीगत प्राप्ति होगा जबकि व्यापारिक संविदा के भंग होने से प्राप्त राशि, आयगत प्राप्ति होगी।

3) सम्पत्ति के क्रय और विक्रय के किसी विशेष सौदे में विक्रेता का इरादा, प्राप्ति की प्रकृति को निर्धारित करेगा। प्रतिभूतियों की बिक्री से हुई आय (जहाँ वे निवेश के रूप में रखी गई हों), पूँजीगत प्राप्ति होंगी जबकि यदि प्रतिभूतियों को विक्रय माल के रूप में रखा गया हो तो यह आयगत किस्म की प्राप्ति होगी।

4) यदि किसी करार के अन्तर्गत कुछ अधिकारों के अभ्यर्पण से कोई राशि मिलती है तो वह पूँजीगत प्राप्ति कही जाती है क्योंकि उन अधिकारों के रूप में कुछ पूँजीगत परिसम्पत्ति छोड़ दी जाती है। तथापि यदि कोई धनराशि भविष्य में होने वाले लाभ का नुकसान होने की उम्मीद में मुआवजे के रूप में प्राप्त होती है तो उसे आयगत प्राप्ति माना जाएगा।

पूँजीगत तथा आयगत प्राप्तियों में विभेद स्थापित करते समय यदि निम्न बातें भी ध्यान में रखी जाएँ तो इस विभेद को समझने में मदद मिलेगी।

1) **प्रारंभिक स्थिति में प्राप्ति की प्रकृतिः** यदि कोई प्राप्ति प्रारंभिक अवस्था में व्यापारिक प्राप्ति की भाँति होती है तो इस पर आयकर लगाया जाएगा, परन्तु यदि

प्राप्ति, प्रारंभिक अवस्था में पूँजीगत प्राप्ति हो तो इस पर कर नहीं लगाया जाएगा उसकी मात्रा और विनियोजन चाहे जो भी हो।

2) **नाम महत्वपूर्ण नहीं है:** किसी सौदे में उसके पक्षों द्वारा चाहे जो भी लेन–देन हो और उससे चाहे जो भी प्राप्ति हो, प्राप्ति के सही स्वरूप का निश्चय उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर तथा परिस्थितियों के अनुसार होगा।

3) **प्राप्तकर्ता के पास होने पर किसी प्राप्ति का स्वरूप:** कोई प्राप्ति पूँजीगत है या आयगत, यह प्राप्तकर्ता के पास होने पर निश्चित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि देने वाले के पास पूँजीगत स्वरूप का कोई व्यय हो तो भी पाने वाले के लिए वही राशि बिल्कुल आयगत प्राप्ति होगी। अतः पाने वाले के पास प्राप्ति किस रूप में पहुँचती है यह महत्वपूर्ण है न कि देने वाले के पास वह राशि किस रूप में है।

4) **कम्पनी अधिनियम के अधीन प्राप्तियों का स्वरूप महत्वपूर्ण नहीं:** उच्चतम न्यायालय के निर्णय से यह निश्चित हो गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि यदि कोई प्राप्ति कम्पनी अधिनियम के अनुसार पूँजीगत प्राप्ति हो तो आयकर अधिनियम, 1961 में भी पूँजीगत प्राप्ति ही हो बल्कि वह आयगत प्राप्ति हो सकती है।

5) **पूर्व वर्षों में कर-निर्धारण न होना महत्वपूर्ण नहीं:** यदि गत वर्षों में आयकर प्राधिकारियों ने किसी आय पर कर न लगाया हो तो उससे उस प्राप्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। उस पर बाद के वर्षों में आयगत प्राप्ति की भाँति कर लगाया जा सकता है।

6) **उपभोग्य परिसम्पत्तियों से आय:** यदि लाभ किसी उपभोग योग्य परिसम्पत्ति की बिक्री से होता है तो वह आयगत किस्म का माना जाएगा।

7) **विनिमय दर में उतार-चढ़ाव:** विनिमय दर में घट–बढ़ के फलस्वरूप करदाता की अतिरिक्त आय को आयगत प्राप्ति माना जाएगा परन्तु इस प्रकार की आय करदाता के व्यापार से सम्बन्धित न होकर उसके निवेश से संग्रहण हो तो उसे आयगत प्राप्ति कहा जाएगा।

8) निरंतर मिलने वाली वार्षिकी: किसी पूँजी परिसम्पत्ति के बदले में प्राप्त होने वाली वार्षिकी की राशि, करदेय राशि होगी फिर भी, यदि वार्षिकी की राशि, पूँजी की ही किस्त के रूप में प्राप्त राशि हो तो वह पूँजीगत प्राप्ति कही जाएगी।

2.4.2 पूँजीगत तथा आयगत प्राप्तियों के उदाहरण

पूँजीगत प्राप्ति के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

1) पूँजीगत व्यय के लिए प्राप्त की गई राशि पूँजीगत आय होगी।

2) निर्यात लाइसेंस के स्थगन पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि।

3) मासिक किरायेदारी समझौते में प्राप्त पगड़ी की राशि।

4) विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार–चढ़ाव से प्राप्त लाभ।

5) विदेशी मुद्रा को बेचने से प्राप्त लाभ बशर्ते कि विदेश से पूँजीगत सम्पत्ति खरीदना असंभव हो गया हो।

6) नए अंशधारियों से कम्पनी द्वारा एकत्रित की गई प्रवेश शुल्क की राशि।

7) किसी फर्म को कम्पनी के रूप में बदलने की दशा में भूमि की बिक्री से प्राप्त आय।

8) किसी साझेदार द्वारा फर्म में अपने अधिकार छोड़ने पर क्षतिपूर्ति की राशि।

आयगत प्राप्तियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

1) पूँजी सम्पत्ति के हस्तांतरण के बदले प्राप्त वार्षिकी आय।

2) सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्राप्त क्षतिपूर्ति की आय।

3) समयानुसार मरम्मत न करने के सम्बन्ध में प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि।

4) निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत प्राप्त नकद सहायता।

5) रायल्टी का अधिकार छोड़ने पर प्राप्त एकमुश्त राशि।

6) एक सहकारी संस्था को सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता।

7) निर्यात–शुल्क में कमी होने पर निर्यातकर्ता की बचत।

8) किसी कम्पनी द्वारा किसी समझौते के टूटने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि।

9) निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत निर्यात के बदले में प्राप्त हुए आयात अधिकार की बिक्री की राशि।

उदाहरण 3

बताइए कि क्या निम्न प्राप्तियां आकस्मिक आयें हैं :

i) मिस्टर 'A' को पंच का कार्य करने के लिए 6,000 रु. प्राप्त हुए जबकि पारिश्रमिक के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

ii) मिस्टर 'B' को पंच का कार्य करने के लिए 10,000 रु. प्राप्त हुए जिस पर पारिश्रमिक के लिए स्पष्ट तथा निश्चित प्रावधान था।

iii) न्यायालय के आदेशानुसार ऋण मिस्टर 'C' पर डिकी को कार्यान्वित करने से रोकने के लिए डिक्रीधारी मिस्टर 'D' को 1000 रु. ब्याज के प्राप्त हुए।

iv) मिस्टर 'E' मिस्टर 'F' के यहां सेवा कर रहा है। मिस्टर 'काई' का पुत्र खो गया और मिस्टर 'एक्स' ने बिना पारिश्रमिक के प्रावधान के उसे खोज निकाला, परन्तु मिस्टर 'व्हाई' ने उसे 1000 रु. इनाम के दिए।

हल

i) यह प्राप्ति आकस्मिक है तथा बारम्बार प्राप्त होने वाली प्रकृति की नहीं है क्योंकि पारिश्रमिक देने का कोई प्रावधान नहीं था। अतः यह आकस्मिक आय है।

ii) मिस्टर व्हाई को पंच के कार्य करने के लिए निश्चित पारिश्रमिक देने का स्पष्ट प्रावधान था और उसने इस पारिश्रमिक पर कार्य करना स्वीकार कर लिया था। अतः यह प्राप्ति आकस्मिक आय नहीं है।

iii) डिक्रीदार द्वारा 1000 रु. ब्याज की प्राप्ति आकस्मिक आय नहीं है।

iv) यह आकस्मिक तथा बार-बार न होने वाली प्रकृति की है और क्योंकि पाश्रिमिक देने का कोई प्रावधान नहीं था। अतः यह आकस्मिक आय है।

बोध प्रश्न ख

1) आकस्मिक आय क्या है, कुछ उदाहरण सहित व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

i) शुद्ध आकस्मिक आय को ..... शीर्षक के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

ii) किसी आय को आकस्मिक आय सिद्ध करने का भार ..... पर है।

iii) ..... प्राप्तियों को व्यापार की आय में सम्मिलित किया जाता है।

iv) किसी अधिकार को त्यागने पर मिली हुई राशि ..... प्राप्ति है।

v) सरकार से नकद सहायता के रूप में प्राप्त राशि..... प्राप्ति है।

3) बताइए कि निम्नलिखित प्राप्तियाँ पूँजीगत प्रकृति की है या आयगत प्रकृति की:

i) व्यापार को अनिवार्य रूप से छोड़ने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि।

ii) अंशधारी द्वारा प्राप्त बोनस अंश।

iii) विक्रेता द्वारा एकत्रित बिक्री कर की राशि।

iv) लाभांश।

v) निर्यात लाइसेंस के स्थगन पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि।

2.5 सारांश

कृषि आय कर–मुक्त आय है अतः इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है। धारा 2(1) के अनुसार कृषि आय का तात्पर्य किसी किराए या आय की उस राशि से है जो कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयोग की गई भारत में स्थित भूमि से प्राप्त होती है। ऐसे मकान की आय भी कृषि आय है जो कृषि भूमि पर या उसके बिल्कुल निकट स्थित हो बशर्ते कि वह मकान कृषक अथवा लगान प्राप्त करने वाले के रहने के लिए हो अथवा भण्डार घर अथवा बाहरी मकान के रूप में प्रयोग होता हो या पशुओं तथा खेती के औजारों को रखने के लिए प्रयोग होता हो। राज्य की आय के स्रोत में शामिल होने के कारण कृषि आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) के अन्तर्गत कर–मुक्त घोषित किया गया है क्योंकि केन्द्र सरकार इस आय पर करारोपण नहीं कर सकती। यदि कोई चीनी मिल अपने फर्म पर पैदा किए गए गन्ने से चीनी का उत्पादन करती है तो चीनी की बिक्री से प्राप्त आय अंशतः कृषि आय होगी। इसी

प्रकार चाय पैदा करने वाली कम्पनी द्वारा चाय की बिक्री से प्राप्त आय भी अंशतः कृषि आय है। आंशिक कृषि आय के करारोपण सम्बन्धी नियम आयकर नियम 1962 के नियम संख्या 7 तथा 8 में दिए गए हैं। .

आकस्मिक आय भी एक कर योग्य आय है। आकस्मिक आय एक अचानक से प्राप्त हुई आय है जो बिना किसी संभावना या पूर्व आशा के प्राप्त होती है परन्तु पूँजी लाभ व्यापार व पेशे से सम्बन्धित प्राप्तियाँ, कर्मचारी के वेतन में वृद्धि के रूप में प्राप्त आय आकस्मिक आय नहीं है।

पूँजीगत तथा आयगत प्राप्तियों में अंतर समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि आयगत प्राप्तियों पर आयकर लगाया जाता है जबकि पूँजीगत प्राप्तियों को आयकर से छूट प्राप्त है। वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राशि आयगत प्राप्ति है जबकि पूँजी सम्पत्तियों के बदले में प्राप्त राशि पूँजीगत प्राप्ति आय कही जाएगी जैसे – भवन की बिक्री से प्राप्त राशि। अतः घर की संपत्ति को बिक्री से लाभ पूंजीगत लाभ होगा और ये कर योग्य है। पूँजीगत तथा आयगत प्राप्ति में अंतर करने के लिए लेखा सिद्धान्त तथा न्यायालय के निर्णयों से सहायता ली जाती है।

2.6 शब्दावली

कृषि आय : यह एक ऐसी आय है जो भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त होती है तथा आयकर से मुक्त है।

अंशतः कृषि आय : चीनी मिलों तथा चाय बागानों की आय अंशतः कृषि आय होती है। करयोग्य भाग का निर्धारण आयकर निगम 1962 के नियम संख्या 7 तथा 8 द्वारा होता है।

आकस्मिक आय : ऐसी प्राप्ति जो आकस्मिक तथा अनावर्ती होती है तथा बिना किसी संभावना के दैवयोग से प्राप्त होती है। लाटरी से जीत की राशि, जुए से जीती गई राशि इत्यादि को धारा 2(24) के अन्तर्गत आय की परिभाषा में शामिल किया गया है परन्तु सरकार के परिपत्र द्वारा इन्हें आकस्मिक आय घोषित किया गया है।

पूँजीगत आय : पूँजी सम्पत्ति के बदले में मिली हुई राशि पूँजीगत आय है। पूँजीगत आय कर योग्य नहीं होती परन्तु पूँजीगत लाभ कर योग्य होता है।

आयगत प्राप्ति : निरंतर प्राप्त होने वाली आय को आयगत प्राप्ति कहते हैं तथा यह राशि कर–योग्य होती है जैसेः वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राशि।

2.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) i) b, ii) a, iii) b, iv) a

2) i) असत्य, ii) असत्य, iii) सत्य, iv) सत्य,

ख) 2) i) अन्य स्रोतों से प्राप्त आय ii) करदाता

iii) आयगत iv) पूँजीगत v) आयगत

3) i) आयगत, ii) पूँजीगत, iii) आयगत, iv) आयगत, iv) आयगत

2.8 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

1) कृषि आय को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए।

2) कृषि आय और अंशतः कृषि आय के अंतर को सोदाहरण समझाइए।

3) आकस्मिक आय से क्या तात्पर्य है? आयकर अधिनियम में आकस्मिक आय सम्बन्धी नियमों को बताइए।

4) पूँजीगत तथा आयगत प्राप्तियों में अंतर की व्याख्या कीजिए।

नोटः इस इकाई को अच्छी तरह समझने के लिए यह प्रश्न और अभ्यास आपको सहायता करेंगे। इनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। परन्तु अपने उत्तर विश्वविद्यालय को न भेजें। ये केवल आपके अभ्यास के लिए हैं।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 3 निवास स्थिति तथा कर दायित्व

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 निवास स्थिति का महत्व

3.3 निवास स्थिति की श्रेणियाँ

3.4 निवास स्थिति निर्धारण के नियम

- 3.4.1 व्यष्टि
- 3.4.2 गैर-कम्पनी बहुव्यक्ति इकाइयाँ
  - 3.4.2.1 हिन्दु अविभाजित कुतुब
  - 3.4.2.2 साझेदारी फर्म या व्यक्तियों का संघ
- 3.4.3 कम्पनी की निवासीय स्थिति
- 3.4.4 अन्य कोई व्यक्ति

3.5 निवास के आधार पर कुल आय की गणना

- 3.5.1 निवासी
- 3.5.2 मामूली तौर पर निवासी नहीं
- 3.5.3 अनिवासी

3.6 आय के प्रकार

- 3.6.1 भारत में प्राप्त आय
- 3.6.2 भारत में प्राप्त मानी जाने वाली आय
- 3.6.3 भारत में अर्जित या हुई आय
- 3.6.4 भारत में अर्जित या हुई मानी जाने वाली आय

3.7 कर–भार

3.8 सारांश

3.9 शब्दावली

3.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.11 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

3.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपः

- निवास स्थिति के आधार पर निर्धारितियों की श्रेणियों का पता लगा सकेंगे;
- निर्धारितियों की निवास स्थिति का निर्धारण कर सकेंगे;
- विभिन्न प्रकार की आय का स्पष्टीकरण कर सकेंगे; और
- कर दायित्व का पता लगा सकेंगे।

3.1 प्रस्तावना

आप जानते ही हैं कि आयकर अधिनियम निर्धारिती और उसकी आय के आस–पास ही घूमता है। इससे पहले की इकाई में आपको जिन संकल्पनाओं से परिचित कराया गया था। वे आयकर के आधार माने जाते हैं, जैसे कि निर्धारिती (assessee), गत वर्ष, निर्धारण वर्ष, आदि। लेकिन एक निर्धारिती के कर दायित्व को जानने के लिए उसकी निवासी स्थिति को जानना आवश्यक होता है। इस इकाई में हम उन नियमों को स्पष्ट करना चाहेंगे जिनसे निर्धारिती की निवास स्थिति का निर्धारण किया जाता है ताकि उसके आधार पर उसके कर दायित्व का क्षेत्र तय किया जा सके।

3.2 निवास स्थिति का महत्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अनुसार एक व्यक्ति को गत वर्ष की आय पर कर उस वर्ष से सम्बन्धित कर–निर्धारण वर्ष पर लागू दरों से लगाया जाता है और ये दरें प्रति वर्ष अप्रैल या मई के महीने में पारित वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती हैं। एक व्यक्ति का कर दायित्व भारत में उसके गत वर्ष के निवासीय स्थिति के आधार पर तय किया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि यह व्यक्ति की निवास स्थिति प्रत्येक वर्ष में समान बनी रहे। हो सकता है कि वह एक वर्ष में निवासी हो और दूसरे वर्ष में अनिवासी। इसलिए प्रत्येक वर्ष के लिए उसकी निवास स्थिति का स्पष्ट निर्धारण करना आवश्यक होता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की आय के एक स्रोत के लिए जो निवास स्थिति होती है वही स्थिति उसकी सभी आयों के लिए मानी जाती है। विभिन्न निर्धारितियों/करदाताओं जैसे व्यक्ति (individuals), हिन्दू अविभाजित परिवार (H.U.F.), फर्म व कम्पनी आदि की निवास स्थिति को तय करने के लिए नियम एक समान नहीं है।

3.3 निवास स्थिति की श्रेणियाँ

कुल आय के सीमा क्षेत्र की चर्चा आयकर अधिनियम की धारा 5 में की गई है। इसके अनुसार व्यक्ति की कुल आय की गणना पिछले वर्ष में भारत में उसकी निवास स्थिति के आधार पर की जानी होती है। निवास के आधार पर कर–योग्य व्यक्तियों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है :

i) भारत में निवासी व्यक्ति

ii) वे व्यक्ति जो मामूली तौर पर भारत में निवासी नहीं हैं

iii) भारत में अनिवासी व्यक्ति

चित्र 3.1: निवास स्थिति की श्रेणियों

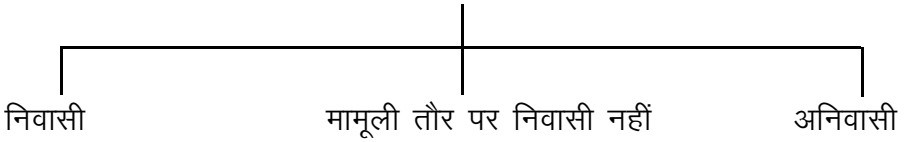

इस सम्बन्ध में लागू होने वाले नियमों को निर्धारित/करदाता करने के लिए निर्धारितियों/करदाताओं को चार वर्गों में विभाजित किया जाता है :

i) व्यष्टि

ii) गैर–कम्पनी बहुव्यक्ति इकाइयाँ, (हिन्दू अविभाजित परिवार) फर्मे या व्यक्तियों का संघ

iii) कम्पनियाँ

iv) अन्य व्यक्ति

3.4 निवास स्थिति निर्धारण के नियम

पहले ही बतलाया जा चुका है कि विभिन्न प्रकार के करदाताओं की निवास स्थिति निर्धारित करने के नियम भी अलग–अलग हैं। एकल व्यक्तियों (individuals) की निवास स्थिति को निर्धारित करने वाले नियम धारा 6(1) में, हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म व व्यक्तियों के अन्य संघों के बारे में नियम धारा 6(2) में, कम्पनियों के बारे में नियम धारा 6(3) में तथा अन्य सभी व्यक्तियों के बारे में नियम धारा 6(4) में दिए गए हैं।

3.4.1 व्यष्टि / व्यक्ति

आयकर प्रावधानों के अधीन एवं व्यक्ति गत वर्ष में निम्नलिखित में से कोई एक प्रकार का निवासी हो सकता है:

a) निवासी या साधारण निवासी

b) असाधारण निवासी

c) अनिवासी

A) निवासी या साधारण निवासी

एक व्यक्ति की निवास स्थान की स्थिति आयकर अधिनियम की धारा 6(1) एवं 6(6)(a) के द्वारा निर्धारित होती है। धारा 6(1) के द्वारा दो शर्ते निर्धारित हैं जिन्हें आधार शर्ते कहा जा सकता है, इसी प्रकार धारा 6(6)(a) के द्वारा भी दो शर्ते निर्धारित है जिन्हें अतिरिक्त शर्ते कहा जा सकता है। एक व्यक्ति निवासी उस दशा में होता है जब वह आधार शर्ते में से कम से कम एक तथा दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करता है।

आधार शर्तों अथवा भाग 1 की शर्तों

i) सम्बन्धित गत वर्ष में वह स्वयं भारत में 182 दिन रहा हो अथवा

ii) सम्बन्धित गत वर्ष में वह स्वयं 60 दिन (कुछ विशेष दशाओं में 182 दिन) अथवा अधिक दिन भारत में रहा हो तथा सम्बन्धित गत वर्ष से ठीक पूर्व के 4 गत वर्षों में 365 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो।

आधार शर्तों के अपवाद एवं विशेष दशाएँ

a) एक भारतीय नागरिक की दशा में, यदि वह व्यक्ति विदेश में सेवा करने के लिए या किसी भारतीय जहाज के कर्मी दल (Crew) के सदस्य के रूप में गत वर्ष में भारत से बाहर गया है तो उपरोक्त क्रम संख्या (ii) की आधार शर्तों को पूरा करने के लिए उसे गत वर्ष में 60 दिन के स्थान पर 182 दिन भारत में रहना होगा।

b) एक भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति की दशा में, यदि वह व्यक्ति विदेश में है और गत वर्ष में भारत आता है तो उपरोक्त क्रम संख्या (ii) की आधार शर्तों को पूरा करने के लिए उसे गत वर्ष में 60 दिन के स्थान पर 182 दिन भारत में रहना होगा।

भाग 2 की शर्तें अथवा अतिरिक्त शर्तें (धारा (6)(6)(a))

a) विगत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों में वह भारत में निवासी रहा हो, एवं

b) वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो।

भारत में रहना

उपरोक्त शर्तों में उस व्यक्ति के लिए गत वर्ष के दौरान कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहना आवश्यक तो है परन्तु इस अवधि के लिए एक ही स्थान पर या लगातार रहना आवश्यक नहीं है। वह व्यक्ति स्वयं अपने मकान में रहा हो या किराये के मकान में या होटल में या फिर अपने मित्र इत्यादि के साथ। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात केवल यह है कि वह गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन भारत में अवश्य रहा हो। इसी प्रकार गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में भी कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन वह भारत में रहा होना चाहिए चाहे वह इतने दिन लगातार भारत में रहा हो या नहीं। गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों से अभिप्राय 12 महीनों के एक कलेन्डर वर्ष से होता है। महत्वपूर्ण केवल यह है कि वह गत वर्ष से पूर्व के चार वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो।

उदाहरण 1

मि0 अनिल जो भारत के नागरिक है और 1984 से स्पेन में रह रहे हैं यह यू0एस0ए0 जाने के लिए 16.7.2019 को भारत छोड़ा और 4.1.2020 को भारत वापस आ गये। गत वर्ष के लिए 2019–20 उसका निवास स्थान निर्धारित कीजिए।

हल

यदि मि. अनिल प्रथम शर्त को पूरा करते हैं (तो उन्हें कम से कम 182 दिन भारत में गत वर्ष में रहना पडेगा जोकि 1.4.2019 से 31.3.2020 निम्न प्रकार होगा।

निवास स्थान ज्ञात करना

अप्रैल 2019	30 दिन
मई 2019	31 दिन
जून 2019	30 दिन
जुलाई 2019	16 दिन
अगस्त 2019	शून्य
सितम्बर 2019	शून्य
अक्तूबर 2019	शून्य
नवम्बर 2019	शून्य
दिसम्बर 2019	शून्य
जनवरी 2020	28 दिन
फरवरी 2020	28 दिन
मार्च 2020	31 दिन
	कुलः 194 दिन

क्योंकि करदाता गत वर्ष में 194 दिन से ज्यादा भारत में रहा, और वह भारत में गतवर्ष में 182 दिन से ज़्यादा अतः उसने प्रथम शर्त को पूर्ण कर ली है। अतः वह भारत में निवासी है।

B) असाधारण निवासी अथवा मामूली तौर पर निवासी नहीं (Not-ordinarily Resident)

किसी व्यक्ति को मामूली तौर पर निवासी नहीं होना तब माना जाता है जबकि वह भाग 1 की दो शर्तों में से किसी एक को तो पूरा करता हो लेकिन भाग 2 अथवा अतिरिक्त शर्ते की दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता हो तो वह असाधारण निवासी होता है।

उदाहरण 2

मि. मयंक पहली बार जुलाई 2019 में भारत आये और मार्च 31, 2020 तक दिल्ली में रहे। कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए उसकी निवास स्थिति निर्धारित कीजिए।

हल

कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए मयंक निवासी तो है लेकिन वह मामूली तौर पर निवासी नहीं है। गतवर्ष 2019–10 में मि0 मयंक भारत में 182 दिन से ज्यादा रहे वह भाग 1 की पहली शर्त को तो पूरा करते है क्योंकि वह गत वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 182 दिन से भी अधिक भारत में रहे। परन्तु वह भाग 2 की दोनों शर्तों को पूरा नहीं करते अतः वह भारत के निवासी है परन्तु कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए साधारण निवासी नहीं है।

ग) अनिवासी (Non-resident)

यदि कोई व्यक्ति भाग 1 अथवा आधार शर्त की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता तो या गत वर्ष के लिए उसकी निवास स्थिति अनिवासी की होती है। भाग 2 अथवा अतिरिक्त शर्त की शर्तों को वह पूरा करता है या नहीं, यह देखना व्यर्थ होता है।

उदाहरण 3

मि. अनूप, 15 अगस्त 2012 को कनाडा के लिए भारत से चले गए। 2019–2020 के दौरान, 12 जुलाई 2019 को भारत आए एक महीने की अवधि के लिए दिल्ली में रुके और 10 अगस्त 2019 को फिर से कनाडा के लिए रवाना हुए। कर निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए आवसीय स्थिति का निर्धारण करें।

हल

कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए अनूप अनिवासी है क्योंकि गत वर्ष 2019–20 के दौरान वह केवल एक महीना (30 दिन) ही भारत में रहा है। अतः वह भाग 1 अथवा आधार शर्त की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है। इस प्रकार वह अनिवासी है।

बोध प्रश्न क

1) किसी व्यक्ति को कब भारत में "निवासी" माना जाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) किसी व्यक्ति को कब भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं माना जाता है?

.....

.....

.....

.....

3) ''अनिवासी'' कौन होता है?

.....

.....

.....

.....

4) 25 वर्ष भारत में रहने के बाद अप्रैल 15, 2012 को मि0 जतिन अमेरिका गये और मार्च 12, 2012 को भारत वापस आये। कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए उसकी निवास स्थिति तय कीजिए।

.....

.....

.....

.....

5) मि. जॉन पहली बार जुलाई 10, 2019 को भारत आये और फरवरी 28, 2020 तक भारत में रहे। कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए उसकी निवास स्थिति निर्धारित कीजिए।

.....

.....

.....

.....

6) मि. शंकर प्रसाद, जो एक भारतीय नागरिक है, व्यक्तिगत कार्य हेतु नवम्बर 15, 2019 को भारत से जापान गये और गत वर्ष 2019–20 के दौरान वापस नहीं आये। भूतकाल में वह कमी भी भारत के बाहर नहीं रहे। कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए उसकी निवास स्थिति तय कीजिए।

.....

.....

.....

.....

3.4.2 गैर-कम्पनी बहुव्यक्ति इकाइयाँ (Non-Company Plural Entities)

इस भाग में हम हिन्दू–अविभाजित कुटुंब (HUF) फर्मों व व्यक्तियों के संघों जैसी गैरकम्पनी बहु व्यक्ति इकाइयों की निवास स्थिति को निर्धारित करने वाले नियमों की जाँच करेंगे।

3.4.2.1 हिन्दू–अविभाजित कुटुंब धारा 6(2)

एक हिन्दू–अविभाजित कुटुंब की निवास स्थिति दो बातों पर निर्भर करती है – उसका प्रबंध एवं नियंत्रण स्थान तथा कर्ता की निवास स्थिति।

A) मामूली तौर पर निवासी [धारा 6(2)]

गत वर्ष के दौरान एक हिन्दू–अविभाजित कुटुंब को मामूली तौर पर भारत में निवासी तब माना जाता है जबकिः

a) पिछले वर्ष में उसका प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप से भारत के किसी स्थान से हुआ हो।

इस सम्बन्ध में प्रबंध एवं नियंत्रण से अभिप्रायः उस कुटुंब के संचालन एवं नियंत्रण की शक्तियों से होता है। इसका अर्थ है कुटुंब का मस्तिष्क एवं दिमाग। इतना ही नहीं बल्कि कुटुंब के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण वास्तव में कहाँ से किया जा रहा है यह बात महत्व की होती है न कि यह बात कि प्रबंध एवं नियंत्रण की शक्ति व अधिकार कहाँ हैं।

b) **उस कुटुंब का कर्ता धारा 6(6)(a) अर्थात् भाग 2 की अथवा अतिरिक्त की निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता होः**

i) वह विगत गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो, और

ii) विगत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर वह कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो।

हिन्दू–अविभाजित कुटुंब के कर्ता के भारत में रहने के दिनों की गणना करने के संदर्भ में उस अवधि के दौरान रहे कुटुंब के सभी कर्ताओं द्वारा भारत में रहने के दिनों को शामिल किया जाता है यदि एक कर्ता की मृत्यु पर दूसरे व्यक्ति या सदस्य ने कर्ता का पद ग्रहण कर लिया हो।

उदाहरण 4

एक हिन्दू–अविभाजित कुटुंब का भारत, नेपाल, श्री लंका व पाकिस्तान में आयात–निर्यात व्यवसाय है। उस कुटुंब का कर्ता भारत में रहकर नौकरों व एजेंटों के माध्यम से व्यवसाय का प्रबंध एवं नियंत्रण करता है। आयकर के उद्देश्य से उस परिवार की निवास स्थिति क्या होगी?

कुटुंब के कार्यकलापों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत से ही होता है। साथ ही कुटुंब के कर्ता द्वारा भाग 2 अथवा अतिरिक्त शर्त की धारा 6(6)(a) को दोनों शर्तों को भी पूरा किया जा रहा है। अतः यह कुटुंब निवासी माना जाएगा।

B) **मामूली तौर पर निवासी नहीं**

एक हिन्दू–अविभाजित कुटुंब को मामूली तोर पर जब निवासी नहीं माना जाता है जबकि उस परिवार के व्यवसाय का प्रबंध एवं नियंत्रण तो पूर्णतः या अंशतः भारत से किया जा रहा हो, लेकिन उसका कर्ता भाग 2 अथवा अतिरिक्त धारा 6(6)(a) की शर्तों को पूरा नहीं करता हो।

C) **अनिवासी**

एक हिन्दू–अविभाजित कुटुंब को तब अनिवासी माना जाता है जब कि विगत वर्ष में उसके व्यवसाय का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर से किया गया हो। परन्तु यदि प्रबंध एवं नियंत्रण आंशिक रूप से भारत से हुआ हो और उसका कर्ता भाग 2 धारा 6(6) की शर्तों को पूरा करता हो तो उस कुटुंब को भारत का निवासी ही माना जाएगा।

उदाहरण 5

AB नामक हिन्दू–अविभाजित कुटुंब का कार्यालय दुबई में स्थित है। इस परिवार का कर्ता या प्रबंधक मि. 'A' जो कि भारत का नागरिक है, गत वर्ष 2019–20 से पूर्व के 10 वर्षों में से केवल 2 वर्षों में ही भारत का निवासी रहा है। यदि कुटुंब के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण (i) पूर्ण रूप से दुबई में होता है, (ii) आंशिक रूप से भारत में होता है – तो कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए उस परिवार की निवास स्थिति तय कीजिए।

हल

i) क्योंकि इस कुटुंब के व्यवसाय का पूर्ण रूप से प्रबंध एवं नियंत्रण भारत के बाहर से होता है, अतः कुटुंब कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए अनिवासी समझा जाएगा।

ii) इस स्थिति में कुटुंब के व्यवसाय का प्रबंध एवं नियंत्रण आंशिक रूप से भारत से किया जा रहा है अतः वह परिवार भारत में निवासी माना जाएगा यदि उसका कर्ता भाग 2 अथवा अतिरिक्त धारा 6(6)(a) की निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता होः

a) विगत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों में वह भाग 1 की शर्तों के अनुसार भारत का निवासी रहा हो, और

b) गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों के दौरान वह कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो।

क्योंकि इस हिन्दू–अविभाजित कुटुंब का कर्ता गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से केवल 2 वर्षों के दौरान ही भाग 1 अथवा आधार शर्तों के अनुसार भारत का निवासी रहा है, अतः वह भाग 2 अथवा अतिरिक्त धारा 6(6)(a) की शर्तों को पूरा नहीं करता। अतः यह कुटुंब कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए "मामूली तौर पर निवासी नहीं माना जाएगा।

3.4.2.2 साझेदारी फर्म व व्यक्तियों के अन्य संघ धारा 6(2)

फर्मे व व्यक्तियों का कोई अन्य संघ केवल दो श्रेणियों में ही आ सकते हैं – एक तो ''निवासी'' दूसरे ''अनिवासी''। मामूली तौर पर निवासी नहीं वाली श्रेणी इन निर्धारितियों पर लागू नहीं होती है।

A) **निवासी**

धारा 6(2) के अनुसार, एक फर्म या व्यक्तियों का कोई अन्य संघ गत वर्ष के लिए निवासी माना जाता है यदि गत वर्ष के दौरान उनके कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप से भारत से ही हुआ हो। इस प्रकार फर्म से साझेदारों या संघ के सदस्यों की स्थिति कोई महत्व नहीं रखती है।

B) **अनिवासी**

एक साझेदारी फर्म या व्यक्तियों का कोई संघ केवल तब अनिवासी समझा जाता है जबकि गत वर्ष के दौरान उसके व्यवसाय के कार्यों का प्रबंध पूर्ण रूप से भारत के बाहर से किया जाता हो।

उदाहरण 6

एक फर्म के 5 साझेदार हैं और वे सभी स्थायी रूप से भारत के निवासी हैं। फर्म के स्वामित्व में मलेशिया में रबर एस्टेट है जिसका प्रबंध एवं नियंत्रण साझेदारों द्वारा मलेशिया और भारत दोनों ही स्थानों से किया जाता है। भारत से इस व्यवसाय का प्रबंध एवं नियंत्रण मलेशिया में स्थित एजेंटों के माध्यम से किया जाता है। फर्म की निवास स्थिति का निर्धारण कीजिए।

हल

फर्म के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण यद्यपि आंशिक रूप से ही भारत से किया जा रहा है फिर भी यह ''भारत में निवासी'' फर्म समझी जाएगी क्योंकि फर्म के सभी साझेदार भारत के स्थायी निवासी हैं अतः फर्म का प्रबंध एवं नियंत्रण कम से कम आंशिक रूप से तो भारत से होता ही है। इस प्रकार फर्म को भारत में निवासी फर्म माना जाएगा।

3.4.3 भारत में कम्पनी की निवासीय स्थिति धारा 6(3)

एक कम्पनी भारत की निवासी कहलायेगी जबकि वह गतवर्ष में

i) यह एक भारतीय कम्पनी है, अथवा

ii) यदि कम्पनी विदेशी है तो गत वर्ष में उस विदेशी कम्पनी का प्रभावी प्रबन्ध का स्थान (Place of Effective Management POEM) भारत में रहा है।

एक कम्पनी भारत में गत वर्ष में अनिवासी स्थिति होगी यदि,

i) भारतीय कम्पनी नहीं हो (अथवा)

ii) विदेशी कम्पनी की दशा में उसका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में भारत के बाहर स्थित है।

उदाहरण 7

दि इंडियन कैमिकल्स लिमिटेड नामक कम्पनी भारत में पंजीकृत कम्पनी है जो अपना व्यवसाय भारत सहित खाड़ी देशों में भी करती है। मार्च 31, 2019 को समाप्त हुए वर्ष में

इस कम्पनी का प्रबंध एवं नियंत्रण आंशिक रूप से रियाद (सऊदी अरेबिया) से हुआ। कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए कम्पनी की निवास स्थिति निर्धारित कीजिए।

हलः

दि इंडियन कैमिकल्स लिमिटेड एक भारतीय कम्पनी है अतः यह भारत में निवासी कम्पनी ही मानी जाएगी। इसके प्रबंध एवं नियंत्रण से सम्बन्धित बातों का इस सम्बन्ध में कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

उदाहरण 8

इंटरनेशनल रेमेडिज नामक कम्पनी जर्मनी में पंजीकृत कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय जर्मनी में स्थित है लेकिन कम्पनी का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से बम्बई (भारत) में होता है। कर उद्देश्य से कम्पनी की निवास स्थिति क्या होगी?

हलः

क्योंकि कम्पनी का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः भारत से किया जा रहा है अतः यह भारत में निवासी कम्पनी समझी जाएगी। कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान से इस सम्बन्ध में कोई अंतर नहीं पड़ता।

इसी प्रकार उदाहरण में यदि इस कम्पनी का प्रबंध एवं नियंत्रण केवल आंशिक रूप से भारत से किया जा रहा हो तो कर उद्देश्य से यह कम्पनी "अनिवासी" कम्पनी मानी जाएगी।

उदाहरण 9

पी.सी. रेड्डी एक भारतीय नागरिक है। उसको गत वर्ष के दौरान भारत तथा इंग्लैण्ड में निम्नलिखित विभिन्न स्रोतों से आय हुई हैः

a) इंग्लैण्ड में स्थित सम्पत्ति से आय,

b) भारत में कमाया व प्राप्त किया गया वेतन आय,

c) इंग्लैण्ड में स्थित व्यवसाय से लाभ की आय लेकिन उस व्यवसाय को भारत से नियंत्रित किया गया है।

d) गत वर्ष से पूर्व की विदेशी आय जिस पर पहले कभी कर नहीं लगा और जिसे गत वर्ष के दौरान भारत लाया गया।

e) एक भारतीय कम्पनी द्वारा दिया गया लाभांश जिसे इंग्लैण्ड में प्राप्त किया गया।

f) हैदराबाद (भारत) में एक व्यवसाय से लाभ की आय।

उसकी कर देयता निर्धारित कीजिए यदि वह भारत मेंः

i) निवासी है

ii) मामूली तौर पर निवासी नहीं है

iii) अनिवासी है।

उत्तर

आय	निवासी	मामूली तौर पर	अनिवासी निवासी नहीं
a)	हाँ	नहीं	नहीं
b)	हाँ	हाँ	हाँ
c)	हाँ	हाँ	नहीं
d)	नहीं	नहीं	नहीं
e)	हाँ	हाँ	हाँ
f)	हाँ	हाँ	हाँ

''नहीं'' का अर्थ है कर योग्य नहीं है।

उदाहरण 10

वित्तीय वर्ष 2019–20 में सुमित बंसल की आय निम्नलिखित है

	विवरण	रु.
a)	सिंगापुर में की नौकरी का वेतन भारत में प्राप्त किया	3,90,000
b)	भारत में पेशे से आय लेकिन जर्मनी में प्राप्त किया	3,60,000
c)	उग्रड़ा में सम्पत्ति से आय (जिसमें से रु. 2,40,000 भारत में प्राप्त किया)	5,00,000
d)	बेंग्लौर में व्यवसाय से लाभ प्राप्त किया	1,50,000
e)	कीनिया में कृषि से आय	1,60,000
f)	नेपाल में व्यापार में लाभ लेकिन व्यापार पर नियन्त्रण भारत से	2,20,000

सुमित बंसल की करनिर्धारण वर्ष 2020–21 की आ ज्ञात कीजिए यदि वह (1) निवासी (2) साधारण निवासी नहीं (3) भारत में अनिवासी है।

हल

सुमित बंसल की करनिर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए करयोग आय

		निवासी साधरण	साधारण निवासी	अनिवासी नहीं
	विवरण	रु.	रु.	रु.
1.	भारत में प्राप्त आय, आय कहीं पर भी अर्जित की गई हो			
	सिंगापूर में नौकरी के लिए आय भारत में प्राप्त किया	3,90,000	3,90,000	3,90,000

2.	आय उपाजित भारत में की हो जबकि प्राप्त कहीं भी किया गया हो।			
	i) गंगलौर के व्यावसाय से लाभ	1,50,000	1,50,000	1,50,000
	ii) भारत में पेशा से आय किन्तु जर्मनी से प्राप्त किया	3,60,000	3,60,000	3,60,000
3.	आय उपाजित और प्राप्त भारत के बाहर किया			
	i) उग्रड़ा में सम्पति से आय	5,00,000	–	–
	ii) कीनिया से कृषि में आय	1,60,000	–	–
	iii) नेपाल से व्यापार में लाभ किन्तु नियन्त्रण भारत से	2,20,000	2,20,000	–
	कुल लाभ	**17,80,000**	**11,20,000**	**9,00,000**

3.4.4 अन्य कोई व्यक्ति (Any Other Person) धारा 6(4)

A) **निवासी**

अन्य कोई व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण, कृत्रिम विधिक व्यक्ति (artificial/judicial person), कानूनी निगमों (मूर्तियों) को गत वर्ष के दौरान "भारत में निवासी" माना जाता है यदि उनके कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप से भारत से किया गया हो।

B) **अनिवासी**

ऐसे अन्य सभी व्यक्ति भारत में अनिवासी माने जाते हैं यदि गत वर्ष में उनके कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर से किया गया हो।

नोटः ऐसे अन्य व्यक्ति कभी भी मामूली तौर पर निवासी नहीं होते हैं।

बोध प्रश्न ख

1) निम्नलिखित कथन बतलाइए कि सही हैं या गलतः

i) कोई कम्पनी कभी भी "मामूली तौर पर निवासी नहीं" नहीं हो सकती।

ii) भारतीय कम्पनी "निवासी" कम्पनी होती हैं।

iii) हिन्दू–अविभाजित परिवार अनिवासी नहीं हो सकता।

iv) फर्में या व्यक्तियों के अन्य संघ कभी "मामूली तौर पर निवासी नहीं', नहीं हो सकते।

v) निवास के आधार पर व्यक्तियों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

2) किसी व्यक्ति को निवासी निर्धारित करने की विधि समझाइए।

.....

.....

.....

.....

.....

3) कम्पनी को भारत में निवासी निर्धारित करने की विधि समझाइए।

.....

.....

.....

.....

.....

4) जापान रेमेडिज एक अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी है और भारत में कीटनाशक दवाओं का व्यवसाय करती है। इसका पंजीकरण टोक्यों में हुआ है और सारा प्रबंध एवं नियंत्रण भी टोक्यों में होता है। कम्पनी की निवास स्थिति निर्धारित कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) एक हिन्दू–अविभाजित परिवार भारत में खिलौनों का व्यवसाय करता है। इसके व्यवसाय का प्रबंध एवं नियंत्रण आंशिक रूप से भारत से होता है तथा आंशिक रूप से कनाडा से गत वर्ष 2019–20 के लिए इसका कर्ता भारत में अनिवासी है। करनिर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए इस परिवार की निवास स्थिति निर्धारित कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.5 निवास के आधार पर कुल आय की गणना (Scope of Total Income on the basis of Residence)

करदाता की निवास स्थिति को निर्धारित करने वाले नियमों का स्पष्टीकरण किया जा चुका है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है किसी विगत वर्ष के लिए निर्धारिती की आय की गणना उस वर्ष के लिए उसकी निवास स्थिति पर निर्भर करती है। इस भाग में निर्धारितियों की धारा (5) में निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल आय की गणना के सम्बन्ध में बताया जाएगाः

i) निवासी [धारा (5(1)]

ii) मामूली तौर पर निवासी नहीं [धारा (5(1)]

iii) अनिवासी [धारा (5(2)]

3.5.1 निवासी और साधारण निवासी

यदि कोई व्यक्ति सम्बन्धित विगत वर्ष में निवासी हो तो उसकी कुल आय में सभी स्रोतों की वे आय शामिल की जाती हैं जोः

a) उस वर्ष के दौरान वह उसके द्वारा या उसकी ओर से भारत से प्राप्त की जाए या प्राप्त हुई समझी जाए, या

b) उस वर्ष के दौरान वह उसके द्वारा भारत में अर्जित की जाए या अर्जित की गई समझी जाए, या

c) उस वर्ष के दौरान वह उसके द्वारा भारत के बाहर अर्जित की जाए।

3.5.2 मामूली तौर पर निवासी नहीं

यदि कोई व्यक्ति सम्बन्धित विगत वर्ष में मामूली तौर पर निवासी नहीं हो तो उसकी कुल आय में सभी स्रोतों की वे आय शामिल की जाती हैं जोः

a) उस वर्ष के दौरान उसके द्वारा या उसकी ओर से भारत से प्राप्त की जाए या भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, या

b) उस वर्ष के दौरान उसके द्वारा भारत में अर्जित की जाए या भारत में अर्जित की गई समझी जाए, या

c) उस वर्ष के दौरान उसके द्वारा भारत के बाहर अर्जित की जाए और वे आएँ ऐसे किसी व्यवसाय से हों जिसका नियंत्रण भारत से किया जा रहा हो या किसी ऐसे पेशे से हो जिसे भारत में स्थापित किया गया हो।

इस प्रकार एक "निवासी" और "आम तौर पर निवासी नहीं" व्यक्ति की कुल आय की गणना के सम्बन्ध में मुख्य अंतर उस आय के बारे में होता है जो उस व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर अर्जित की जाती है। निवासी व्यक्ति की स्थिति में ऐसी आय को उसको कुल आय में शामिल किया जाता है चाहे वह आय किसी भी स्रोत से हुई हो। लेकिन "आम तौर पर निवासी नहीं" व्यक्ति की स्थिति में ऐसी आय को उसकी कुल आय में केवल तभी शामिल किया जाता है जबकि वह आय भारत के बाहर ऐसे व्यवसाय में कमाई या अर्जित की गई हो जिसका नियंत्रण भारत से होता हो या ऐसे पेशे से अर्जित की गई हो जिसे भारत में स्थापित किया गया हो।

3.5.3 अनिवासी

यदि कोई व्यक्ति सम्बन्धित गत वर्ष में अनिवासी हो तो उसकी कुल आय में सभी स्रोतों की वे आय शामिल की जाती हैं जो:

a) उस वर्ष के दौरान उसके द्वारा या उसकी ओर से भारत से प्राप्त की जाये या प्राप्त हुई समझी जाए, या

b) उस वर्ष के दौरान उसके द्वारा भारत में अर्जित की जाए या अर्जित की गई समझी जाए।

इस प्रकार अनिवासी व्यक्ति उन आयों पर कर देने के लिए बाध्य नहीं होते जो उनके द्वारा भारत के बाहर अर्जित की जाए चाहे वे उन आयों को उसी वर्ष भारत में क्यों न भेज दें।

3.6 आय के प्रकार

कुल आय के क्षेत्र से ऐसा लगता है कि कर दायित्व के क्षेत्र में आने वाली आय चार प्रकार की होती है जो इस प्रकार हैं:

1) भारत में प्राप्त आय, (धारा–7)

2) भारत में प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय (धारा–7)

3) भारत में अर्जित (धारा–9)

4) भारत में अर्जित हुई समझी जाने वाली आय (धारा–9)

इन आयों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

3.6.1 भारत में प्राप्त आय (Income received in India)

कोई भी आय जो करदाता द्वारा गतवर्ष में भारत में प्राप्त की जाती है, वह कर योग्य होता है और इस बात का कोई प्रभाव नहीं होता है कि करदाता का निवास स्थान क्या है तथा आय के उपार्जित होने का स्थान क्या है। आय से आशय उस आय से है जो करदाता ने प्रथम बार प्राप्त की हो। एक बार आय के रूप में प्राप्त की गयी राशि यदि अन्यत्र स्थान पर भेजी जाती है तो उसे प्राप्ति नहीं माना जायेगा। यह आवश्यक नहीं है कि आय नकद ही प्राप्त हो, यह वस्तु (Kind) के रूप में भी प्रदत्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी को प्रदत्त किराया मुक्त आवास एवं अन्य कुछ सुविधायें वेतन की भांति कर योग्य होती है, यद्यपि यह सुविधाएं नकद नहीं प्राप्त होती है। वस्तुओं (Kind) में प्राप्त की गयी आय मुद्रा तुल्य (Money's Worth) होनी चाहिए अर्थात मुद्रा समान होना चाहिए।

अनिवासी करदाता की दशा में उनके द्वारा विदेशों में कमाई गयी आय तब तक कर योग्य नहीं होगी जब तक वह भारत में प्राप्त न हो जाये। भारत में प्राप्ति के समय ऐसी आय बाहरी स्रोत से प्राप्त आय मानी जायेगी। यदि इस प्रकार की प्राप्ति पर उसे भेजने के स्थान पर आय अथवा करमुक्त आय माना गया है तो भारत में उस वर्ष में जिसमें ऐसी राशि प्राप्त हुई हो आय के रूप में प्राप्त नहीं माना जायेगा।

3.6.2 भारत में प्राप्त मानी गयी आय (Income Deemed to be Received in India)

निम्नांकित आयें गत वर्ष में भारत में प्राप्त हुई मानी जायेगी।

i) धारा 80CCD के अन्तर्गत पेंशन योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा गतवर्ष में कर्मचारी के खाते में दिया गया अंशदान।

ii) किसी भी सेवायोजक द्वारा कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि खाते में वेतन के 12% से अधिक का अंशदान, कर्मचारी की मानी गयी प्राप्त आय होती है।

iii) 9.5% से अधिक कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि में जमा व्याज की राशि मानी गयी प्राप्त आय होती है।

iv) जब एक कर्मचारी अप्रमाणित भविष्य निधि की सदस्यता के स्थान पर प्रमाणित भविष्य निधि का सदस्य बन जाता है तो अप्रमाणित भविष्यनिधि में जमा राशि उसके प्रमाणित भविष्य निधि खाते में हस्तान्तरित की जाती है। इस राशि को हस्तान्तरित शेष कहा जाता है। हस्तान्तरित शेष की राशि में सेवायोजक का अंशदान एवं उस पर ब्याज मानी गयी प्राप्त आय होती है।

3.6.3 आय का भारत में उपाजित अथवा उदय होना (Income Accuring or Arising in India)

आय उस समय प्राप्त मानी जाती है जब वह करदाता को वास्तव में प्राप्त हो जाती है। परन्तु जब करदाता को आय प्रादत करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो इसे उपार्जित अथवा उदय हुई आय कहते हैं। गत आय उपार्जन वह स्थिति है जिसमें करदाता आय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है और जब यह आय वित्तीय वर्ष में वास्तव में प्राप्त हो जाती है तो इसे आय का उदय कहा जाता है। इस प्रकार आय उपार्जन के अन्तर्गत वह स्थिति है जिसमें आय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है परन्तु जब यह खातों के लाभ के रूप में प्रदर्शित हो जाती है तो इसे आय का उदय कहा जाता है।

आय का भारत में उपार्जित अथवा उदय होना आवश्यक है। यदि यह भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई है तो इस पर एक अनिवासी के ऊपर कर नहीं लगाया जा सकता।

3.6.4 भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई समझी गयी आय (Income Deemed to Acrue or Arising in India)

1) निम्न वर्णित आयें भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई मानी/समझी जायेगीः

i) भारत में व्यवसायिक सम्बन्ध से उत्पन्न आय ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में भारत में उदय हुई आय जो भारत में कार्यरत होकर अथवा व्यवसायिक सम्बन्ध से उत्पत्न्न हुई हो, उसे भारत में उपार्जित आय माना जाता है। व्यवसायिक सम्बन्ध विभिन्न स्वरूपों में हो सकते हैं। जैसे एक अनिवासी मूल कम्पनी द्वारा भारत में व्यवसाय हेतु एक सहायक कम्पनी का निर्माण अथवा भारत में शाखा स्थापित करना अथवा एक अभिकर्त्ता नियुक्त करना अथवा अनिवासियों का संगठन बनाना।

ii) भारत में स्थिति किसी भी सम्पत्ति, प्रापर्टी अथवा स्रोत से आयः

कोई भी ऐसी आय जो भारत में स्थित मूर्त अथवा अमूर्त तथा चल अथवा अचल सम्पत्ति से उदय होती है। वह भारत में उपार्जित अथवा उदय मानी जाती है।

iii) ब्याज, अधिकार शुल्क अथवा तकनीकी फीस भारत में उपार्जित एवं उदय हुई मानी जाती है यदि इसकी भुगतान देयताः–

1) सरकार पर हो अथवा

2) एक व्यक्ति जो भारत में निवासी हो और वह व्यवसाय अथवा पेशे में कार्य करता हो

3) एक भारत में अनिवासी द्वारा वशर्ते कि ब्याज उस राशि पर देय है जो भारत में स्थिति व्यापार अथवा पेशे के लिये उधार ली गयी हो और प्रयोग की गयी हो।

iv) भारत से बाहर किसी भारतीय नागरिक द्वारा प्रदत्त सेवाओं हेतु उसे सरकार द्वारा देय वेतन

v) भारत में प्रदत्त सेवाओं हेतु किसी भी देय वेतन को भारत में अर्जित आय माना जायेगा।

vi) हस्तान्तरणकर्ता एवं हस्तान्तरणी के निवास स्थान पर ध्यान न देते हुए भारत में स्थिति किसी पूंजी सम्पत्ति के हस्तानतरण से होने वाली आय भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई मानी जायेगी और उस पर कर लगाया जायेगा।

बोध प्रश्न ग

1) निम्नलिखित कथन बतलाइए कि सही है या गलत

a) यह आवश्यक नहीं कि आय नकद रूप में ही प्राप्त की जाए।

b) कर भार करदाता की निवास स्थिति पर निर्भर करता है।

c) स्रोत पर काटे गए कर को भारत में प्राप्त हुई आय समझा जाता है।

d) भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर दिया जाने वाला लाभांश ''भारत में अर्जित समझी जाने वाली आय'' नहीं होती।

2) आय के प्रकार बताइए

.....

.....

.....

.....

.....

3) ''भारत में प्राप्त समझी जाने वाली आय'' को स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

3.7 कर–प्रभाव/दायित्व (Incidence of Tax)

निम्न तालिका 3.1 में कर प्रभाव/दायित्व को संक्षेप में बताया गया है

तालिका 3.1: कर प्रभाव/दायित्व के प्रावधान

आय का विवरण	कर योग्य है अथवा नहीं		
	साधारण निवासी	असाधारण	अनिवासी
1) भारत में प्राप्त अथवा मानी गई प्राप्त आय यदि भारत में कमाई गयी हो या अन्य किसी स्थान पर	हाँ	हाँ	हाँ
2) गतवर्ष में भारत में या अन्य स्थान पर उपार्जित अथवा उदय हुई मानी गयी आय।	हाँ	हाँ	हाँ
3) भारत से नियन्त्रित व्यवसाय की वह आय जो भारत के बाहर अर्जित एवं प्राप्त की गई हो।	हाँ	हाँ	नहीं
4) गत वर्ष में किसी अन्य स्रोत से भारत के बाहर से उपार्जित अथवा उदय हुई आय	हाँ	नहीं	नहीं
5) गतवर्ष से पूर्व के वर्षों में भारत के बाहर ऐसी उपर्जित एवं उदय हुई आय जो भारत के बाहर ही प्राप्त की गई हो परन्तु गतवर्ष में भारत को भेजी गई हो।	नहीं	नहीं	नहीं

3.8 सारांश

किसी व्यक्ति का विगत वर्ष में कर दायित्व उसके उसी वर्ष में निवास के आधार पर तय किया जाता है। निवास के आधार पर व्यक्तियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:

(a) निवासी, (b) मामूली तौर पर निवासी नहीं तथा (c) अनिवासी

इसके अतिरिक्त कर दायित्व की दृष्टि से व्यक्तियों को चार वर्गों में बाँटा जाता है:

(a) व्यष्टि/व्यक्ति

(b) गैर–कम्पनी बहुव्यक्ति इकाइयाँ, जैसे, संयुक्त हिन्दू परिवार, साझेदारी फर्मे तथा व्यक्तियों की अन्य संस्थाएँ

(c) कम्पनी

(d) कोई अन्य व्यक्ति

सभी वर्गों की निवास स्थिति का निर्धारण करने के लिए नियम भी अलग–अलग ही हैं। विभिन्न वर्ग की निर्धारितियों को निवासी होने के लिए अलग–अलग शर्ते पूरी करनी होती हैं।

व्यक्ति और हिन्दू अविभाजित कुटुंब की निवास स्थिति निवासी, मामूली तौर पर निवासी नहीं और अनिवासी इन तीनों प्रकार की हो सकती है। फर्म, व्यक्तियों के संघ, कम्पनी और अन्य कोई व्यक्ति की स्थिति मामूली तौर पर निवासी नहीं होने की नहीं हो सकती। वे या तो निवासी हो सकते हैं या अनिवासी।

कर दायित्व के उद्देश्य से आय के चार प्रकार होते हैं :

क) भारत में प्राप्त आय,

ख) भारत में प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय

ग) भारत में अर्जित या होने वाली आय

घ) भारत में अर्जित या होने वाली समझी जाने वाली आय

भारत में करदाता पर कर का प्रभाव/दायित्व उसकी आवासीय स्थिति पर निर्भर करती है। भारत में या भारत के बाहर, किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई आय, भारत में कर योग्य है या नहीं यह व्यक्ति की आवासीय स्थिति पर निर्भर करता है, न कि उसकी देयता पर। लोगों को अक्सर गलत धारणा के तहत होते हैं कि विदेशी नागरिकता लेने से कर लाभ प्राप्त करने में मददत मिलती है। हांलाकि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता के आधार पर लाभ प्रदान नहीं करता है। एक निवासी और साधारण निवासी जो भारत में अपनी वैश्विक आय पर कर के अधीन आता है। आसाधारण निवासी एवं अनिवासी केवल भारत में उत्पन्न अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के संबंध में भारत में कर देने के अधीन है। भारत में प्राप्त अर्जित या उत्पन्न या भारत में प्राप्त अर्जित या उत्पन्न हुई माना जाता है।

3.9 शब्दावली

कर–भार : निर्धारिती का कर दायित्व।

भारतीय कम्पनी : कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी।

कर्ता : हिन्दू अविभाजित कुटुंब का मुखिया, पिता या सबसे बड़ा पुत्र हो सकता है।

निवास स्थिति : आयकर निर्धारितियों का वर्गीकरण उनकी निवास स्थिति के आधार पर किया जाता है। इसके अनुसार उन्हें निवासी, मामूली तौर पर निवासी नहीं तथा अनिवासी की श्रेणियों में बाँटा जाता है।

3.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

क) 4) अनिवासी 5) मामूली तौर पर निवासी नहीं 6) निवासी

ख) 1) i) सही ii) सही iii) गलत iv) सही v) गलत

4) अनिवासी

5) साधारण निवासी नहीं

ग) 1) i) सही ii) सही iii) सही iv) गलत

3.11 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

1) व्यष्टि (individuals) के सम्बन्ध में निम्नलिखित का स्पष्टीकरण कीजिएः

i) निवासी

ii) मामूली तौर पर निवासी नहीं

iii) अनिवासी

2) निवास के आधार पर निर्धारितियों को किन–किन श्रेणियों में बाँटा जाता है?

3) एक हिन्दू अविभाजित कुटुंब को निवासी कहलाने के लिए किन–किन शर्तों को पूरा करना होता है?

4) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कुल आय की गणना का क्षेत्र समझाइए।

5) फर्म व कम्पनी के निवासी का निर्धारण करने वाले कौन से मापदण्ड हैं?

6) आयकर लगाने का आधार क्या है? इसे तय करने वाले नियमों के सम्बन्ध में बताइए।

7) लोहित भारत का निवासी नहीं है। वह जुलाई 31, 2019 को प्रथम बार भारत आया और जनवरी 28, 2020 तक भारत में ही रहा है। कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए उसकी निवास स्थिति तय कीजिए। (उत्तरः मामूली तौर पर निवासी नहीं)

8) प्रकाश एक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म में नौकरी हेतु सितम्बर 15, 2013 को भारत से कुवैत जाता है। वह मार्च 15, 2020 को वापस भारत आता है और फिर वापस बाहर नहीं जाने का विचार बना लेता है। गत वर्ष 2019–20 के लिए उसकी निवास स्थिति निर्धारित कीजिए। (उत्तरः अनिवासी)

9) एक हिन्दू अविभाजित परिवार का दिल्ली में जूट निर्माण का व्यवसाय है। इस परिवार का कर्त्ता गत वर्ष 2019–20 के लिए भारत का निवासी है। इस परिवार के व्यवसाय का सम्पूर्ण प्रबंध एवं नियंत्रण भारत से ही होता है। कर–निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए इस परिवार की निवास स्थिति निर्धारित कीजिए। (उत्तरः निवासी)

10) ओनिडा शिपिंग कम्पनी भारत में पंजीकृत एक कम्पनी है और माल की लदाई का व्यवसाय करती है। इस कम्पनी के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण आंशिक रूप से भारत से और आंशिक रूप से इंग्लैण्ड से किया जा रहा है। भारत में इस कम्पनी की स्थिति निर्धारित कीजिए। (उत्तरः निवासी)

11) ए.बी.सी. एक साझेदारी फर्म है और भारत में यूनानी दवाओं का एक व्यवसाय करती है। उसके कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर भूटान से किया जाता है। भारत में इस फर्म की निवास स्थिति का निर्धारण कीजिए। (उत्तरः अनिवासी)

नोटः इस इकाई को अच्छी तरह समझने के लिए. यह प्रश्न और अभ्यास आपको सहायता करेंगे। इनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। परन्तु अपने उत्तर विश्वविद्यालय को न भेजें। ये केवल आपके अभ्यास के लिए हैं।

इकाई 4 करमुक्त आय (धारा 10)

इकाई की रूपरेखा

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 करमुक्त आय से तात्पर्य

4.3 करमुक्त आय की सूची

4.4 व्यष्टि की करमुक्त आय

4.5 कुछ संस्थाओं और कोषों की कर मुक्त आयें

4.6 पुण्यार्थ तथा धार्मिक न्यासों और राजनीतिक दलों की आय

4.6.1 पुण्यार्थ तथा धार्मिक न्यासों की आय

4.6.2 राजनीतिक दलों की आय

4.7 गैर नागरिक और/या अनिवासी करदाताओं के लिए कर मुक्त आये

4.8 सारांश

4.9 शब्दावली

4.10 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

4.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपः

- करमुक्त आय की व्याख्या कर सकेंगे तथा उससे क्या तात्पर्य है, बता सकेंगे;
- करमुक्त आय का वर्गीकरण कर सकेंगे;
- धारा 10 के अंतर्गत वर्णित करमुक्त आय की सूची तैयार कर सकेंगे;
- व्यष्टि की विभिन्न प्रकार की करमुक्त आय कौन–कौन सी होती हैं यह बता सकेंगे; और
- पुण्यार्थ और धार्मिक न्यासों एवं राजनीतिक दलों की आय के सम्बन्ध में आयकर सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख कर सकेंगें।

4.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आप आयकर अधिनियम में आमतौर पर प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण संकल्पनाओं से परिचित हो चुके हैं। आपने निर्धारिती (करदाता) की कुल आय के आधार पर उसकी निवास स्थिति के बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आय के स्वरूप का प्रभाव कुल आय पर भी पड़ता है क्योंकि कुछ आय को आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट दी गई है। आय में छूट कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दी जाती है। कुछ आय में सामाजिक कारणों से कुछ में विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा की आय को भारत में लाने के लिए, तथा कुछ में प्रतिभा, वीरता आदि को प्रोत्साहित करने के लिए कर में छूट दी जाती है। कुछेक आय को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा करने से उस आय पर दोबारा कर लग जाता है।

इस इकाई में आप उस आय का अध्ययन करेंगे जिन्हें कर से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त इस इकाई में आप एक व्यक्ति की करमुक्त आय तथा पुण्यार्थ व धार्मिक न्यासों और राजनीतिक दलों की आय के प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

4.2 करमुक्त आय से तात्पर्य

करमुक्त आय से आशय उस आय से है जिस पर आयकर नहीं लगाया जाता। ऐसी आय को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता हैः

i) ऐसी आय जो न तो कुल आय में शामिल की जाती है और न ही उस पर आयकर लगाया जाता है, ऐसी आय पूर्णतया करमुक्त आय (fully exempted incomes) कहलाती है।

ii) ऐसी आय जो कुल आय में तो शामिल की जाती है परन्तु ऐसी आय को कुल आय पर लागू होने वाले आयकर की औसत दर से करमुक्त कर दिया जाता है। ऐसी आय अंशतः करमुक्त आय (partly exempted incomes) कहलाती है।

iii) कुछ संस्थाओं तथा प्राधिकरणों की करमुक्त आय पर छूट दी जाती है परन्तु शर्त यह होती है कि उन्होंने कुछ शर्ते पूरी कर ली हों।

4.3 करमुक्त आय की सूची (धारा–10)

1) कृषि आय धारा 10(1)

भारत में स्थित भूमि से कृषि आय को आयकर (आयकर अधिनियम के कृषि आय परिभाषा) में पूर्णतः कर मुक्त किया गया है।

2) हिंदु अविभाजित परिवार से एक सदस्य द्वारा प्राप्त राशि [धारा 10(2)]

विभाजन के समय हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी राशि कर से मुक्त होती है।

3) साझेदारी फर्म की आय में एक साझेदार का हिस्सा [धारा 10(2A)]

फर्मों के लाभ में से एक साझेदार का हिस्सा पूरी तरह से कर मुक्त होता है।

4) मुक्त व्यापार क्षेत्र में नए स्थापित औद्योगिक उपक्रम का लाभ [धारा 10AA]

5) भोपाल गैस रिसाव आपदा के पीड़ितों को प्राप्त मुआवजा [धारा 10 (10BB)]

भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों का विधियन अधिनियम, 1985) की योजना के अन्तर्गत किया गया भुगतान और कोई भी मुआवजा कर से मुक्त है।

6) जीवन बीमा से प्राप्त राशि [धारा 10(10D)]

जीवन बीमा निगम से प्राप्त किसी भी राशि जो की परिपक्वता होने पर पूरी तरह से कर से मुक्त है, यहां तक कि उससे प्राप्त बोनस को भी पूरी तरह से छूट दी गई है। लेकिन, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी और इस धारा के तरह प्राप्त किसी भी राशि पर छूट नहीं दी जाएगी।

7) सार्वजनिक भविष्य निधि से मिला भुगतान – धारा 10(11)

किसी भी तरह का सार्वजनिक भविष्य निधि से मिला भुगतान में (स्टेट बैंक या स्टेट बैंक की मुख्य शाखा) कर मुक्त है।

8) सुकन्या समृद्धि खाते से भुगतान [धारा 10 (11A)]

सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014 से प्राप्त किसी भी राशि को सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 के अन्तर्गत बनाया गया है जोकि पूर्णतः कर मुक्त है।

9) राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली ट्रस्ट से भुगतान [धारा 10(12A)]

राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली ट्रस्ट धारा 80 (CCD) से कोई भी भुगतान, अगर यह कुल राशि का 40% से अधिक नहीं है तो योजना के बंद होने के समय निर्धारिती को देय कर से मुक्त है।

10) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट से आंशिक वापसी [धारा 10(12B)]

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट से निर्धारिती करदाता द्वारा कोई भी निकासी जाकि 25% तक कर मुक्त है।

11) निर्दिष्ट निवेश पर ब्याज, प्रीमियम और बोनस [धारा 10(15)]: जैसे वार्षिकी प्रमाणपत्रा, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, डाकघर बचत, बैंक खाता राहत बॉड पर ब्याज, डाकघर नकद प्रमाण पत्र आदि से पूर्णतः कर से मुक्त है।

12) छात्रवृत्तियाँ [धारा 10(16)]

किसी भी तरह की छात्रवृत्ति या अनुसंधान के सरकार द्वारा दी गई राशि पूर्णतः कर मुक्त है।

छात्रवृत्तियां शिक्षा और शोध कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई किसी भी छात्रवृत्तियाँ एवं शिक्षावृत्तियाँ कर से मुक्त होती है।

13) सांसदों एवं विधायकों के प्रदान किये गये भत्ते [धारा 10(17)] के अनुसार उदाहरण के लिए दैनिक भत्ते, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, पूरी तरह से कर से मुक्त है।

14) पुरस्कार या पुरस्कार [धारा 10(17A)] साहित्य या वैज्ञानिक के काम के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दिए गए नकद या किसी अन्य तरह के पुरस्कार को कर से छूट दी जाएगी। सरकार के अलावा किसी अन्य संस्थान से किसी भी प्राप्त पुरस्कार को कर से मुक्त रखा जाएगा बशर्ते कार्यों का अनुमोदन केन्द्र सरकार द्वारा होना चाहिए।

15) **वीरता चक्र से सम्मानित व्यक्ति को पेंशन [धारा 10(18)]** किसी व्यक्ति या उसके परिवार को प्राप्त पेंशन के रूप में कोई राशि जो केंद्रीय या राज्य सरकार का कर्मचारी था ाऔर उसे व्यक्ति को परम वीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था, पेंशन की राशि कर मुक्त होगी।

16) **सशस्त्र बलों के परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन [धारा 10(19)]** सशस्त्र बल के व्यक्ति को ड्यूटी करते समय मृत्यु हो जाती है तो विधवा या बच्चों को पारिवारिक पेंशन या सशस्त्र बल के एक सदस्य की नामित पेंशन को कर से

पूर्णतः मुक्त रखा गया है। विधवा या बच्चों को पारिवारिक पेंशन या सशस्त्र बलों के एक सदस्य की मनोनीत पेंशन प्रदान किया जायेगा, जोकि कर मुक्त होगा।

17) **भारतीय रियासतों के शासकों के एक महल का वार्षिक मूल्य** [धारा 10 (19A0]

18) **अनुसूचित जनजातियों की आय [धारा 10(26)]** मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य के आदिवासी क्षेत्रों (संविधान के छठी अनुसूची में दिए गए अनुसूचित जनजातियों के लिए अर्जित) की किसी भी व्यक्ति की आय में छूट दी जाएगी।

19) **चाय बोर्ड से प्राप्त सब्सिडी [धारा 10(30)]** चाय बोर्ड की किसी भी सब्सिडी, करदाता, भारत में बढ़ती और विनिर्माण के लिए चाय के कारोबार को बढ़ाने से प्राप्त आय कर से मुक्त होगी, बशर्ते, छूट का प्रमाण पत्र, आयकर अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया हो।

20) **पौधे लगाने वालों द्वारा प्राप्त अनुदान धारा 10(31)**

धारा 10(31) रबड़ बोर्ड, कार्यालय या मसाला बोर्ड से किसी भी सब्सिडी, करदाता द्वारा रबड़ या चाय के पौधे को पुनः लगाने के लिए प्राप्त सब्सिडी कर से मुक्त होगी।

21) **नाबालिक बच्चे की आय** [धारा 10(32)] नाबालिग के संबंध में रु। 1500/– तक की आय को कर से मुक्त रखरखाव गया है। और उस राशि से अधिक राशि माता–पिता में से किसी की आय में शामिल होगा।

22) **यूनिट योजना की यूनिटों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ** [धारा 10(33)] इकाइयों के हस्तांतरण पर कोई पूंजीगत लाभ यूएस–64 में कर मुक्त होगी। बशर्ते कि ऐसा स्थानांतरण 1/4/2002 को या उसके बाद किया जाए।

23) **घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश [धारा 10(34)]** घरेलू कंपनी द्वारा घोषित किसी भी लाभांश को कर से मुक्त होगी (कर निर्धारण वर्ष 2004–05)। इसमें लाभांश धारा 2(22) (c) शामिल नहीं है।

24) **पारस्परिक कोष से आय, विशिष्ट उपक्रम के प्रशासक के यूनिटों से आय** अथवा विशिष्ट कम्पनियों के यूनिटों से आय [धारा 10(35)]

यूनिटधारकों के लिए ऐसी आय कर निर्धारण वर्ष 2004.05 से कर मुक्त है।

25) पात्र समता अंशो पर दीर्धकालिक पूंजीगत लाभ [धारा 10(36)] यह छूट केवल तब लागू होती है जब शेयरों को कम से कम 12 महीने के लिए रखा गया हो और जब निवेश 1 मार्च 2003 को या उसके बाद 31 मार्च 2004 तक किया गया हो।

26) **शहरी सीमाओं के अन्तर्गत स्थित कृषिभूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर प्राप्त क्षतिपूर्ति पर उत्पन्न पूंजी लाभ की कर मुक्ति [धारा 10(37)]**

इस तरह की छूट एक व्यक्तिगत या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए उपलब्ध है, लघु या दीर्धकालिक पूंजीगत लाभ पर, बशर्ते कि इस तरह की क्षतिपूर्ति 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद प्राप्त किया जाना चाहिए और अनिवार्य अधिग्रहण से 2 साल पले भूमि का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाना चाहिए।

27) **कम्पनी के साधारण अंशा एवं** (equity oriented fund कें यूनिटों के विक्रय पर उत्पन्न दीर्धकालीन पूँजी लाभ कर–मुक्ति है, कर निर्धारण वर्ष 2019–20 [धारा10(38)].

28) भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन से निर्धारित आय कर निर्धारण वर्ष 2006-07 प्रभावी) [धारा 10(39)] कर मुक्त है।

29) बिजली आदि के वितरण में संलग्न सूत्रधारी कम्पनी से प्राप्त अनुदान आदि जो कि सहायक कम्पनी को कर से मुक्त है (कर निर्धाश्रण वर्ष 2006–07 से प्रभावी) धारा 10(40)

30) बिजली आदि के उत्पादन के व्यवसाय में लगे उपक्रमों की पूंजीगत लाभ को कर से मुक्त रखा गया है। (कर निर्धारण वर्ष 2006–07 से प्रभावी) धारा 10(41)

31) कुछ निकायों या प्राधिकारियों की निर्दिष्ट आय की छूट (करनिर्धारण वर्ष 2006–07) से प्रभावी धारा 10(42)।

32) आरक्षित बंधक योजना के तहत किसी व्यक्ति को ऋण के रूप में प्राप्त राशि की छूट धारा 10(43)

इस तरह की छूट वरिष्ठ नागरिक के लिए उपलब्ध है, जो योजना के तहत जीवन भर मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं।

33) नई पेंशन योजना ट्रस्ट की ओर से किसी व्यक्ति को प्राप्त राशि [Sec. 10(41)]

34) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को प्राप्त अनुलाभ और भत्ते [Sec. 10(45)]

यदि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं तो निम्नलिखित भत्ते और अनुलाभ कर मुक्त होते हैं, किराया मुक्त सरकारी आवास, परविहन भत्ता और यातायात भत्ता कर मुक्त होता है। यदि सेवानिवृत्त हो जाता है, तो मीटिंग के लिए 14,000 रु. प्रति माह और आवासीय टेलीफोन के लिए 500 रु. प्रतिमाह कर मुक्त होगा।

35) अधिसूचित निकाय या प्राधिकरण या ट्रस्ट या बोर्ड या आयोग की विशिष्ट आय की छूट [Sec. 10(46)]

36) अवसंरचना ऋण निधि की आय Sec. 10(47)]

अवसंरचना ऋण निधि की छूट का लाभ उठाया जा सकता है, यदि धारा 139 के अन्तर्गत आय का विवरण जमा करना होगा।

37) विदेशी कंपनी की आय [Sec. 10(48)]

भारत में किसी विदेशी कंपनी को कर की छूट दी जाती है, यदि कोई आय कच्चे तेल की भारत में बिक्री से प्राप्त होती है और आय भारतीय मुद्रा में होनी चाहिए।

38) कच्चे तेल के भंडारण से विदेशी कंपनी की आय [Sec. 10(48A)]

39) राष्ट्रीय वित्तीय सूत्रधारी कंपनी से आय [Sec. 10(49)]

1 अप्रैल, 2014 को या उससे पहले केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कंपनी की स्थापना की गई होगी।

4.4 व्यक्ति की कर मुक्त आय

वेतन भोगी कर्मियों की आय

आयों की विस्तृत विवेचना वेतन से आय शीर्षक में पढ़ेंगे

1) अवकाश यात्रा रियायत [धारा 10(5)]
2) विदेश में प्राप्त भत्ते और अनुलाभ [धारा 10(7)]
3) मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर ग्रंच्युटी [धारा 10(10)]
4) एकमुश्त की राशि [धारा 10(10A)]
5) अर्जित अवकाश का नकदीकरण [धारा (10AA)
6) छंटनी के कारण क्षर्तिपूर्ति [धारा 10(10B)]
7) नियोक्ता द्वारा अनुलाभ पर भुगतान किया गया आयकर [धारा 10 (10CC)]
8) वैधानिक भविष्य निधि से प्राप्त राशि [धारा 10(12A0)]
9) प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि [(धारा 10(12)]
10 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट से भुगतान [धारा 10(12A)]
11) राष्ट्रीय पेंशन योजना से आंशिक निकासी पर कर छूट [धारा 10(12B)]
12) अनुमोदित सेवा निवृत्ति कोष से प्राप्त राशि [धारा 10(13)]
13) पेंशन योजना के तहत् कर्मचारी के खाते का हस्तांतरण [धारा 10(13)]
14) मकान किराया भत्ता [धारा 10(13A)]
15) कर्तव्यपालन के लिए विशेष भत्ता [धारा 10(14)]

4.5 कुछ संस्थानों और कोषों की कर मुक्त आयें

1) **एक स्थानीय प्राधिकरण की आय [धारा 10(20)]** – इसमें नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत आदि शामिल है।

2) **वैज्ञानिक अनुसंधान संघ की आय [धारा 10(21)] –** इस तरह छूट की अनुमति केवल तब होती है जब संघ को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है और यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही अपनी आय का उपयोग करता है।

3) **समाचार एजेंसी की आय सेवा [धारा 10 (22B)] –** इस तरह की समाचार एजेंसी को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए और उसको भारत में स्थापित किया जाना चाहिए।

4) **कुछ पेशेवर संस्थानों की आय [धारा 10(23A)] –** ऐसी संस्थाओं की आय जो चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वकालत आदि के व्यवसाय को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

5) **सेना के रेजिमेंटल फंड की आय [धारा 10(23AA)] –** ऐसी आय को केवल तभी छूट दी जाती है जब इस तरह के कोष का उद्देश्य अतीत और वर्तमान सदस्यों या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित किया जाता है।

6) कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित धन की आय [**धारा** 10(23AAA)

7) **भारतीय जीवन बीमा निगम [धारा 10(23AAB)** – भारतीय जीवन वीमा निगम द्वारा निर्धारित धन की आय में छूट की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब पेंशन पाने वाले द्वारा इस कोष में योगदान देता है।

8) **खादी और ग्रामोद्योग संघ की आय [धारा 10(233)]** – इस तरह की छूट की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसी एसेसिएशन गैर–लाभकारी हो और जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोगों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

9) **खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड आदि के नाम की संस्था की आय [10)23BB)]** – यह छूट केवल तभी दी जाती है जब इस तरह के प्राधिकरण को राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है।

10) **सार्वजनिक धार्मिक कार्यों की नियन्त्रित करने वाले वैधानिक सत्ता आय [धारा 10 (23BBA)]** – सभी प्राधिकरण या ट्रस्ट जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्चा, गुरुद्वारा आदि को केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किया जाना चाहिए।

11) **यूरोपीय आर्थिक समुदाय की आय [धारा 10(23BBB)]** – संघ समुदाय की स्थापना 25 मार्च, 1957 को रोम की संधि के अन्तर्गत की गई। ऐसे समुदाय की कोई भी आय कर मुक्त होगी बशर्ते ऐसी आय समुदाय के कोषो के ब्याज या लाभांश के माध्यम से प्राप्त हो।

12) **दक्षिण ऐशियाई संघ (सार्क) विधि से आय [धारा 10(23BBC)]** – आय (AY 1992-93 से कर निर्धारण वर्ष से दक्षिण ऐशिया संघ के सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्राप्त आय कर मुक्त होगी बशर्ते इस आय का प्रयोग सार्क निधि की स्थानीय योजनाओं में होता हो।

13) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IDRA) [**धारा** 10(23BBE)] की आय

14) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की आय [**धारा** 10(23BBG)]

15) प्रसार भारतीय की आय [**धारा** 10(23BBH)] (आयु 2013–2014 से प्रभावी)

16) **कुछ राष्ट्रीय कोषों की आय [धारा 10(23C)]** – इसमें साम्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन, प्रधानमंत्री राहत कोष प्रधानमंत्री, छात्र सहायता कोष, स्वच्छ भारत कोष से आय और स्वच्छ गंगा निधि, प्रधानमेंत्री कोष, कोष प्रधानमंत्री लोक कला आदि शामिल है।

17) **अधिसूचित म्यूचुअल फंड की आय [धारा 10 (23D)]** – ऐसे म्यूचुअल फंड को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान पर भारत रिजर्व बैंक द्वारा अधिकत किया जाना चाहिए और सेबी अधिनियम 1992 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

18) अधिसूचित विनियोगकर्ता संरख्ज्ञण कोष की आय धारा 10(23EA) इस तरह के फंड को भारत ं किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्चेजं द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए।

19) **साहसिक पूंजी कोष या साहसिक पूंजी कर निर्धारण 2002–03 में** – चुप की आय ऐसी आय में केवल तभी छूट दी जाती है जब कम्पनी उद्यम की पूंजी निधि स्वीकृत हो और कम्पनी द्वारा इक्विटी शेयर खरीदी हो। इस छूट की अनुमति नहीं मिलेगी अगर ऐसे शेयरों को खरीद के 3 साल की भीतर स्थान्तरित नहीं किया जाता है।

20) **पंजीकृत श्रम संघ की आय [धारा 10(24)] –** सह ट्रेड यूनियनों को ट्रेड यूनियनों अधियिम 1926 के तहत् पंजीकृत किया जाएगा।

21) प्रॉवीडेण्ट फण्डों की आय [**धारा** 10(25)] – इसमें डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, मान्यताप्राप्त प्रावीडेण्ट फण्ड की आय, स्वीकृत ग्रेच्युटी फंड, अनुमोदित सुपरनेशन फंड और सांविधिक प्रावीडेण्ट फण्ड के तहत खरीदी गई व्याज और पूंजीगत लाभ शामिल है।

22) **कर्मचारियों के राज्य बीमा कोष की आय [धारा 10(25A)] –** यह प्रावधान 1/4/1962 से प्रभावी है और इसे वित्त अधिनियम 1995 के तहत लाया गया था।

23) **कुछ निर्दिष्ट में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्य की आय [धारा 10(26)] –** संविधान के अनुच्छेद 366(25) के तहत अनुसचित जनजाति के सदस्य को इस तरहत की छूट की अनुमति है।

24) **अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थापित नियम की आय [धारा 10 (26B)] –** यह छूट केवल तब दी जाती है जब ऐसे नियम को केंद्रीय या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है और उपर्युक्त जातियों के कल्याण के लिए काम किया जाता है।

25) **अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित निगम की आय [धारा 10(26BB)] –** ऐसे समुदाय को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए।

26) **भूतपूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए स्थापित निगम की आय [धारा 10(26BBB)]**

27) **सहकारी समितियों की आय [धारा 10(27)] –** ऐसे समितियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए स्थापित किया जाना चाहिए था। और उनकी वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए थी।

28) **विदेशी कम्पनी की भारतीय मुद्रा की आय [धारा 10(48)] –** इस तरह की आय एक समझौते के द्वारा केन्द्र सरकार की अनुमति से होना चाहिए।

29) **अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि से भुगतान [धारा 10(13)] –** पेंशन योजना के अन्तर्गत धारा 80CCD के रूप में या लाभार्थी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु आदि पर भुगतान।

30) **कुछ बोर्डों की आय [धारा 10(29A)] –** इसमें मसाला बोर्ड (मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986), कॉफी बोर्ड, कॉफी अधिनियम, 1942), तंबाकू बोर्ड (तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975), रबर बोर्ड अधिनियम, 1947) और चाय बोर्ड (टी बोर्ड अधिनियम, 1953) आदि शामिल हैं।

4.6 पुण्यार्थ तथा धार्मिक न्यासों और राजनीतिक दलों की आय

पुण्यार्थ तथा धार्मिक न्यासों एवं राजनीतिक दलों की आय का वर्णन धारा 11, 12, 13 तथा धारा 13(A) में किया गया है। इन्हें आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है। उपरोक्त धाराओं की विस्तृत व्याख्या नीचे दी गई है:

4.6.1 पुण्यार्थ तथा धार्मिक न्यासों की आय

सार्वजनिक पुण्यार्थ तथा धार्मिक न्यासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम में इन न्यासों की आय को करमुक्त रखा गया है। धारा 11, 12 तथा 13 में मुख्य रूप से सार्वजनिक पुण्यार्थ न्यासों की आय को करमुक्त करने तथा ऐसी आय के निर्धारण से सम्बन्धित नियम दिए गए हैं।

पुण्यार्थ उद्देश्य धारा 2(15)

पुण्यार्थ उद्देश्यों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं : (i) गरीबों को राहत, (ii) शिक्षा और साक्षरता का प्रचार–प्रसार तथा साक्षरता अभियान, (iii) आम जनता को निःशुल्क दी जाने वाली अस्पताल की सुविधाएँ, (iv) पुण्यार्थ प्रवृत्ति के अन्य कार्य।

धार्मिक उद्देश्य

धार्मिक उद्देश्यों से तात्पर्य उस न्यास से होता है जिसका उद्देश्य किसी विशिष्ट धर्म का प्रचार–प्रसार तथा धार्मिक सहयोग को बढ़ावा देना हो। परन्तु ऐसा न्यास सार्वजनिक धार्मिक न्यास होना चाहिए।

पुण्यार्थ तथा धार्मिक न्यासों का निर्माण

किसी न्याय के निर्माण के लिए लिखित विलेख का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि न्यास का निर्माण ट्रस्टी तथा इसके सदस्यों के साधारण कार्य द्वारा हो सकता है। वस्तुतः यह आवश्यक है कि न्यास का उद्देश्य पुण्यार्थ तथा धार्मिक कार्यों का सम्पादन हो। ऐसे न्यास की आय करमुक्त होने के लिए निम्न शर्ते पूरी करना अनिवार्य हैः

i) ऐसे न्यास की स्थापना की तारीख में एक वर्ष के अंदर आयकर आयुक्त के पास न्यास पंजीकृत हो जाना चाहिए।

ii) यदि न्यास की आय किसी गत वर्ष में 25,000 रुपए से अधिक हो तो न्यास के खाते का किसी चार्टर्ड एकांउटेंट द्वारा लेखा–परीक्षा करना अनिवार्य है तथा लेखा–परीक्षा की रिपोर्ट आय के विवरण के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।

iii) न्यास की निधियों को अधिनियम की धारा 11(5) के अंतर्गत वर्णित विधियों से जमा करना या निवेश करना आवश्यक है।

पुण्यार्थ तथा धार्मिक न्यासों की सम्पत्ति की आय (धारा 11 और 12) : निम्न आयें प्राप्तकर्ता की करयोग्य आय में नहीं जोड़ी जाएगीः

i) पूर्ण रूप से पुण्यार्थ तथा धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित एक ट्रस्ट के पास इन्हीं उद्देश्यों के लिए रखी सम्पत्ति की आय : उस सीमा तक करमुक्त है जिस सीमा तक इस आय का प्रयोग भारत में पुण्यार्थ तथा धार्मिक उद्देश्यों के लिए एकत्रित (accumulated) कर लिया जाता है, या अलग रख दिया जाता (set apart) है और एकत्रित या अलग रखी राशि इस सम्पत्ति की आय की 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। तो यह एकत्रित आय भी पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए ही प्रयुक्त मानी जाएगी।

ii) आयकर अधिनियम, 1961 लागू होने से पूर्व (अर्थात् 1 अप्रैल 1962 से पूर्व) स्थापित ऐसे ट्रस्ट की सम्पत्ति से आय जो अपनी आय को अंशतः ही पुण्यार्थ तथा धार्मिक

उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त करता है, उस सीमा तक करमुक्त है जिस सीमा तक इस आय का प्रयोग भारत में पुण्यार्थ तथा धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यदि इस आय को पुण्यार्थ तथा धार्मिक उद्देश्यों के लिए एकत्रित कर लिया जाता है अथवा अलग रख दिया जाता है तो यह एकत्रित या अलग रखी राशि भी आयकर से मुक्त होगी, बशर्ते कि यह राशि सम्पत्ति की कुल आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

iii) ऐसे ट्रस्ट की सम्पत्ति से आय, जिनकी स्थापना 1 अप्रैल, 1952 को या बाद में पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए की गई तथा जो ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण कार्यों के प्रोत्साहन में लगी है, जिनमें भारत की रूचि है, उस सीमा तक करमुक्त होगी जिस सीमा तक इसकी आय इन्हीं उद्देश्यों के लिए व्यय की गई है। किन्तु 1 अप्रैल, 1952 से पूर्व स्थापित पुण्यार्थ तथा धार्मिक न्यासों को प्राप्त सम्पत्ति से आय उस सीमा तक करमुक्त होगी जिस सीमा तक उक्त सम्पत्ति की आय को भारत के बाहर पुण्यार्थ तथा धार्मिक उद्देश्यों के लिए व्यय किया जाए।

iv) ऐसी सम्पत्ति से आय जो 1 अप्रैल 1952 से पूर्व स्थापित पुण्यार्थ तथा धार्मिक उद्देश्यों वाले ट्रस्ट के पास हैं, पूर्णतः करमुक्त होगी। यह आय उसी सीमा तक करमुक्त होगी जिस सीमा तक यह भारत के बाहर इन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है।

v) ऐच्छिक चन्दों के रूप में प्राप्त ऐसी आय जो इस निर्देश के साथ प्राप्त होती है कि यह आय ट्रस्ट या संस्था के समग्र कोष (बचत निदेशक) का भाग होगी, आयकर से मुक्त होती है।

vi) ऐसे ट्रस्ट या संस्था की व्यापार अथवा पेशे की आय भी करमुक्त होगी, बशर्ते कि ऐसा व्यापार या पेश चलाना ट्रस्ट या संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, तथा ट्रस्ट या संस्था ऐसे व्यापार अथवा पेशे की पृथक् खाता पुस्तकें रखती है।

पुण्यार्थ तथा धार्मिक ट्रस्ट की चन्दे से आय (Income of Religious or Charitable Trust from Contribution) (धारा 12) : पूर्णतया पुण्यार्थ तथा धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट की चन्दों से प्राप्त आयें पूर्णतया करमुक्त होगीय बशर्ते कि वे इन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त की जाती हैं।

4.6.2 राजनीतिक दलों की आय

राजनीतिक दल से तात्पर्य "भारत के नागरिकों के संघ अथवा निकाय से है, जो चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत हो तथा इसमें वह राजनीतिक दल भी सम्मिलित किया जाता है जिसे चुनाव आयोग के पास पंजीकृत मान लिया गया हो।" राजनीतिक दलों को अपनी आय पर कर देना पड़ता है और उनका कर निर्धारण "व्यक्तियों के समूह के रूप में किया जाता है। परन्तु ऐसे दलों द्वारा स्वेच्छा से दिए गए दान या अंशदान से प्राप्त आय को करमुक्त घोषित किया गया है, क्योंकि ऐसे अंशदान या दान को पूँजीगत आय या पारस्परिक लाभ के सम्बन्ध में प्राप्त की गई आय मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त धारा 13A के अंतर्गत राजनीतिक दलों की निम्न प्रकार की आयों को करमुक्त घोषित किया गया है:

क) मकान सम्पत्ति से आय

ख) अन्य स्रोतों से आय

ग) पूँजी लाभ

घ) किसी व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक अभिदान

परन्तु उपरोक्त आय को कर से छूट तभी दी जाएगी, जब वे निम्न शर्ते पूरी करते हों:

1) राजनीतिक दल अपनी आय का हिसाब–किताब, लेखा खातों और अन्य दस्तावेजों को सही ढंग से रखता हो।

2) राजनीतिक दल के खातों की लेखा परीक्षा किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जाती हो।

3) 20,000 रुपए से अधिक स्वैच्छा से दिए गए अभिदान के सम्बन्ध में राजनीतिक दल संपूर्ण लेखा जोखा रखता हो तथा इस प्रकार के अंशदाता के नाम और पते भी अपनी पुस्तकों में अंकित करता हो।

4.7 गैर–नागरिक और/या अनिवासी करदाताओं के लिए करमुक्त आयें

1) अनिवासी द्वारा कुछ प्रतिभूतियों या बांडों पर प्राप्त ब्याज की आय कर निर्धारण 2006–07 से प्रभावी धारा 10(14)

2) **बचत प्रमाणपत्रों पर ब्याज [धारा 10(4B)] –** यह छूट भारतीय मूल के अनिवासी व्यक्तियों या भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने विदेशी मुद्रा द्वारा भारत के बाहर से बचत प्रमाणपत्र खरीदे हैं।

3) **विदेशी तकनीशियनों को पारिश्रमिक पर दिया गया कर [धारा 10(5B)] –** के कर निध ार्रण वर्ष 2003–04 से कर मुक्ति समाप्त कर दिया है।

4) एक विदेशी उद्यम [धारा 10(6) के कर्मचारी के रूप में आय– यह छूट की अनुमति तभी दी जाती है यदि ऐसा कर्मचारी गतवर्ष के दौरान 90 दिनों से अधिक भारत में रहता है और ऐसे उद्यम का भारत में विदेशी सामान का कोई व्यापार नहीं है।

5) **प्रशिक्षण के दौरान पारिश्रमिक [धारा 10(6) (xi)] –** विदेशी सरकार के किसी कर्मचारी को सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक उपक्रम में दिये जा रहे प्रशिक्षण के दौरान कोई पारिश्रमिक विदेशी सरकार से प्राप्त होता है तो यह पूर्णतया कर मुक्त होगा।

6) कुछ आय के संबंध में विदेशी कंपनियों की ओर से चुकायागया कर [**धारा** 10(6)] – ऐसी आय 1/4/1976 और 31/3/2002 के बीच प्राप्त की जानी चाहिए और कर देयता भारत सरकार से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी की शुल्क के रूप में होनी चाहिए।

7) भारत में सुरक्षा से जुड़े उद्यमों में तकनीकी संवाएं प्रदान करने के लिए विदेशी कंपनियों की आय [**धारा** 10(60)]

8) भारत के बाहर दिये गये भत्ते या अनुलाभ [**धारा** 10(7) ऐसे भत्ता या अनुलाभ भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिक को भारत के बाहर से प्राप्त होते हैं।

9) **सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रम** के अन्तर्गत विदेशी सरकार से प्राप्त पारिश्रमिक [**धारा** 10(8)]

10) **एक परामर्शदाता की आय [धारा 10(8A) –** अंतर्राष्ट्रीय संगठन और केंद्र सरकार के बीच समझौते के अन्तर्गत परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए इस कर मुक्ती की अनुमति है और पारिश्रमिक का भुगतान उसके तकनीकी सहायता अनुदान से बाहर है।

बोध प्रश्न क

1) करमुक्त आय से क्या तात्पर्य है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) कुछ प्रकार की आय को क्यों करमुक्त आय किया गया है?

.....

.....

.....

.....

.....

3) दस करमुक्त आय से क्या तात्पर्य है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4.8 सारांश

करमुक्त आय वह आय होती है जिस पर आयकर नहीं लगाया जाता। करमुक्त आय निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है:

a) पूर्णतया करमुक्त आय

b) अंशतः करमुक्त आय

c) पुण्यार्थ तथा धार्मिक न्यासों और राजनीतिक दलों की आय

पूर्णतया करमुक्त आय वह आय होती है जो न तो कुल आय में सम्मिलित की जाती है और न ही उन पर आयकर लगाया जाता है। पूर्णतया करमुक्त आय को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

i) व्यक्ति की आय

ii) कतिपय प्राधिकरणों की आय

iii) गैर–नागरिकों की आय

iv) अनिवासियों की आय

v) विविध आय

अंशतः करमुक्त आय वह होती है जो कुल आय में शामिल तो हो जाती है, परन्तु ऐसी आय को आयकर औसत दर पर कर से छूट मिलती है। ऐसी आय के निम्नलिखित उदाहरण है – किसी अपंजीकृत फर्म के साझेदार की आय– व्यक्तियों के संघ के किसी सदस्य की आय पुण्यार्थ तथा धार्मिक न्यासों एंव राजनीतिक दलों की आय भी आयकर अधिनियम के अंतर्गत करमुक्त होती है बशर्ते कि ये उन उद्देश्यों को पूरा करती हों जिनके लिए इनकी स्थापना की गई है।

4.9 शब्दावली

आकस्मिक आय (Casual Incomes) : ऐसी प्राप्तियाँ, जो आकस्मिक तथा अनावर्ती प्रकृति की होती है, आकस्मिक आय कहलाती है।

पूर्णतया करमुक्त आय (Fully Excempted Income) : ऐसी आय जिसे न तो करदाता की कुल आय में सम्मिलित किया जाता हे और न ही उस पर आयकर देय होता है।

अनिवासी (Non-resident) : ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक न हो।

अंशत करमुक्त आय (Partly Excempted Income) : ऐसी आय जो करदाता की कुल आय में तो सम्मिलित की जाती है, परन्तु जिसे कुल आय पर लगने वाले आयकर की औसत दर पर आयकर से छूट दी जाती है।

राजनीतिक दल (Political Party) : भारत के नागरिकों का संघ या निकाय, जो चुनाव आयोग के यहाँ राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत हो।

4.10 स्वपरख प्रश्न/अभ्यास

1) निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में बताइए।

   a) गैर–नागरिक और/या अनिवासी निर्धारिती के लिए छूट प्राप्त आय।

   b) धारा के प्रावधान [10(18)]।

2) राजनीतिक दलों की आय की करछूट के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

3) पुण्यार्थ तथा धार्मिक न्यासों की आय पर लागू होने वाले अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

4) निम्नलिखित का मिलान करें;

i) धारा 10(11)	A)	मकान किराया भत्ता
ii) धारा 10 (13A)	B)	मुक्त व्यापार क्षेत्रों में नव स्थापित औद्योगिक उपक्रमों की आय
iii) धारा 10 (B)	C)	राजनीति दलों की आय का आकलन
iv) धारा 13 (A)	D)	नव स्थापित 100% निर्यात उन्मुख उपक्रम से आय
v) धारा 10 (A)	E)	कृषि आय

उत्तर– i) ख, ii) ङ, iii) घ, iv) ग, v) क

नोटः इस इकाई को अच्छी तरह समझने के लिए यह प्रश्न और अभ्यास आपको सहायता करेंगे। इनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। परन्तु अपने उत्तर विश्वविद्यालय को न भेजें। ये केवल आपके अभ्यास के लिए हैं।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY